न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, एटा।

उपस्थितः राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 2008

सत्र परीक्षण सं0–327/2015
(C.N.R. No.-UPET010057222015)

राज्य ——————अभियोगी

बनाम

1. मनीष यादव पुत्र हरिवंश, निवासी शिवदरा, **(दि0 01.10.2024 को उपशमित)** थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी, तत्कालीन थानाध्यक्ष जैथरा, एटा, हाल उपनिरीक्षक अलीगढ़।
2. आरक्षी महावीर सिंह पुत्र सूरज सिंह, निवासी नगला बुधू, थाना वेदपुरा, जिला इटावा, तत्कालीन आरक्षी थाना जैथरा, जिला एटा, हाल आरक्षी जनपद हाथरस।
3. मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल पुत्र कुंजीलाल, **(दि0 16.02.2019 को उपशमित)** निवासी नगला दिलीप, थाना छिबरामऊ, जिला कन्नौज, तत्कालीन आरक्षी थाना जैथरा, एटा। (सेवानिवृत्त)
4. गजराज सिंह पुत्र महाराज सिंह, निवासी नगला शीतल, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद, तत्कालीन थाना जैथरा, जिला एटा।

—————अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–156/2005
धारा–302/34,342/149,201, 504,506 भा0दं0सं0
थाना–जैथरा, जिला एटा।

निर्णय

01. अभियुक्तगण मनीष यादव, महावीर सिंह, मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल व गजराज सिंह का विचारण मु0अ0सं0 156/2005 में विवेचना के उपरान्त प्रेषित आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 302/34,342/149,201,504,506 भा0दं0सं0 के आधार पर किया गया। अभियुक्तगण का केस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया।

02. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अतिवीर सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी ग्राम बहगो, थाना जैथरा, जिला एटा ने इस आशय का हस्तलिखित प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.08.2005 को लेखक अहिवरन सिंह पुत्र श्री रामगोपाल सिंह, निवासी बहगो, थाना जैथरा, जिला एटा से लिखवाकर थाना जैथरा, जिला एटा पर दिया कि दिनांक 26.08.2005 को समय करीब 02:00 बजे प्रधान पद की उम्मीदवार मुन्नी देवी पत्नी अशोक सिंह, निवासी बहगो समर्थकों के साथ जायज–नाजायज असलाह लेकर आये और

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.08.12 16:06:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कहने लगे कि तुम साले प्रधान बनाना चाहते हो, उसे अशोक कुमार कहते हैं और वह अपने साथ दोनों लड़के मनोज व भूरे पुत्रगण अशोक व उसकी पत्नी मुन्नी देवी को भी साथ लाया है और उन सबकी पकड़ करवाकर मुन्नी देवी से उनकी हत्या करा देगा। गंदी-गंदी गालियॉ देने लगे और कहने लगे कि आज एक को भी जिन्दा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे। पलक झपकते ही समय करीब लगभग 02:30 बजे थानाध्यक्ष जैथरा मनीष कुमार यादव, सिपाही सौदान सिंह व सिपाही महावीर सिंह व एस0आई0 गजराज सिंह उसके भाई मुहरपाल उर्फ पप्पू को पकड़कर थाने की कहकर चलने लगे। इतने पर तमाम लोगों ने एस0ओ0 साहब से गुहार की कि उनके ही ऊपर गोलियॉ चली हैं और वे उनके आदमियों को क्यों ले जा रहे हैं, वह नहीं माने और जैथरा थाने ले आये। सॉय करीब 06:00 बजे थाने ले आये। दिनांक 26.08.2005 को वादी एवं मौहरपाल का लड़का व कुलदीप सिंह सॉय को खाना लेकर थाना जैथरा आये। उस समय एस0ओ0 साहब उक्त अपने स्टाफ सहित मौहरपाल उर्फ पप्पू को उलटा लटकाकर बुरी तरह से पीट रहे थे और कह रहे थे कि तुझे साले जिन्दा नहीं छोड़ेंगे और उन लोगों को गाली-गलौज करके भगा दिया। कल दिनांक 27.08.2005 को समय करीब 06:30 बजे वादी खाना लेकर आया, तो थाने पर हवालात में बंद करके पीट रहे थे और कह रहे थे कि साले जिन्दा नहीं छोड़ेंगे और उन लोगों को थाने से भगा दिया और कहा कि तुम कोई भी अब लौटके थाने मत आना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसी ही दुर्दशा होगी। ऐसी स्थिति में उन लोगों को समय करीब रात 10:00 बजे घर पर पता चला कि उसके भाई की हत्या कर दी गयी है। जब वे लोग थाने पर आये, तो एस0ओ0 जैथरा एवं उक्त अपने स्टाफ सहित उसके भाई की लाश को एक प्राइवेट जीप कार में गायब करने की नीयत से लिये जा रहे थे, जिसको थाने का ड्राइवर चला रहा था। इसके बाद उन लोगों ने उक्त अधिकारियों एवं पत्रकारों से दूरभाष द्वारा अर्जी लगाई कि उसके भाई की थाने में पीट-पीट कर हत्या कर लाश गायब कर दी गयी है। अतः उसकी रिपोर्ट लिखकर उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये।

03. वादी मुकदमा के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना जैथरा, जिला एटा में मु0अ0सं0 156/2005, धारा 342,302,201,504,506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.08.2005 को समय 12:10 बजे अभियुक्तगण मुन्नी देवी, अशोक सिंह, मनोज, भूरे, मनीष कुमार थानाध्यक्ष, सिपाही सौदान सिंह, सिपाही महावीर सिंह, एस0आई0 गजराज सिंह व थाने के ड्राइवर के विरूद्ध पंजीकृत की गयी, जिसका इंद्राज जी0डी0 सं0 22 दिनांकित 28.08.2005 को समय 12:10 बजे में किया गया।

04. सम्बन्धित विवेचनाधिकारी द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान कई विवेचकों द्वारा विवेचना की गयी। पूर्व में दौरान विवेचना तथा-कथित मुहरपाल को गॉव बहगो से पकडकर लाने एवं थाने में मारपीट कर हत्या किये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका और जिस शव का पंचायतनामा व पी0एम0आर0 हुआ, वह डॉक्टरों के बयानों के अनुसार 12 से 18 वर्ष के बीच किसी व्यक्ति का होना पाया गया, जबकि मुहरपाल की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। विवेचक द्वारा मुहरपाल की सुरागरसी, पतारसी के मद्देनजर साक्ष्य के अभाव में विवेचना जरिये अंतिम रिपोर्ट सं0 09/2006, दिनांकित 24.02.2006 समाप्त की गयी।

05. तत्पश्चात् मामले में उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार अग्रिम विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा की गयी। अंत में सम्बन्धित विवेचनाधिकारी ने आवश्यक अभियोजन साक्षीगण के बयान अंकित किये गये, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किये एवं मामलों से सम्बन्धित आवश्यक विवेचना सम्पादित कर उपरोक्त अभियुक्तगण मनीष यादव, महावीर सिंह, मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल व गजराज सिंह के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 342,302,201,504,506 भा0दं0सं0 सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

06. आरोप–पत्र पर संज्ञान लेकर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान की गयी।

07. तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, एटा द्वारा दिनांक 23.04.2016 को अभियुक्तगण मनीष यादव, महावीर सिंह, मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल व गजराज सिंह के विरुद्ध धारा 302 / 34,342 / 149,201,504,506 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया, जिनसे अभियुक्तगण ने इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

08. दौरान विचारण अभियुक्तगण मनीष यादव व मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित कमशः 01.10.2024 व 16.20.2019 द्वारा उनके विरूद्ध मामले की कार्यवाही उपशमित की गयी।

09. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को, मौखिक साक्ष्य में न्यायालय में परीक्षित कराया गयाः–

1. पी0डब्लू0–01 सुनील
2. पी0डब्लू0–02 अतिवीर सिंह (साक्षी तहरीर प्रदर्श क–01)
3. पी0डब्लू0–03 अहवरन सिंह
4. पी0डब्लू0–04 प्रदीप सिंह
5. पी0डब्लू0–05 गुड्डी
6. पी0डब्लू0–06 कुलदीप
7. पी0डब्लू0–07 विजेन्द्र सिंह चौहान
8. पी0डब्लू0–08 डॉ0 प्रदीप कुमार गुप्ता (साक्षी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–02)
9. पी0डब्लू0–09 कॉ0 क्लर्क दिनेश कुमार (साक्षी चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–03 व कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–04)
10. पी0डब्लू0–10 अहिवरन सिंह (साक्षी पंचायतनामा, चिट्ठी सी0एम0ओ0, चालान नाश व फोटो नाश कमशः प्रदर्श क–05 लगायत प्रदर्श क–08)
11. पी0डब्लू0–11 सेवानिवृत्त निरीक्षक विनय शंकर वाजपेयी
12. पी0डब्लू0–12 सेवानिवृत्त निरीक्षक प्रवेशचन्द्र चतुर्वेदी (साक्षी आरोप–पत्र अभियुक्त महावीर व मिढाईलाल प्रदर्श क–09, आरोप–पत्र अभियुक्त मनीष यादव प्रदर्श क–10 व आरोप–पत्र अभियुक्त गजराज सिंह प्रदर्श क–11)
13. पी0डब्लू0–13 सेवानिवृत्त निरीक्षक भगवान सिंह (साक्षी नक्शा–नजरी प्रदर्श क–12 व प्रदर्श क–13)

14. पी0डब्लू0–14 डॉ0 यतेन्द्र कुमार पाठक (साक्षी रिपोर्ट राज्य चिकित्सा विधि विशेषज्ञ उ0प्र0 ऐशबाग, लखनऊ प्रदर्श क–14)

10. अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त साक्षीगण के अलावा, अन्य किसी साक्षी को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।

11. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दर्ज किये गये। अभियुक्तगण ने अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए साक्षी पी0डब्लू0 01 की साक्ष्य के संबंध में कहा गया है कि वह मृतक का लडका है, जो हितबद्ध साक्षी है। साक्षी पी0डब्लू0 02 व पी0डब्लू0 03 की साक्ष्य के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। साक्षी पी0डब्लू0 04 की साक्ष्य के संबंध में कहा गया कि चुनाव में वोट पडने वाली बात सही है, शेष कथन गलत है। साक्षी पी0डब्लू0 05 लगायत पी0डब्लू0 07 की साक्ष्य को गलत बताया गया। साक्षी पी0डब्लू0 08 की साक्ष्य के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। अभियुक्तगण द्वारा साक्षी पी0डब्लू0 09 द्वारा गलत रिपोर्ट दर्ज करना बताया गया। पी0डब्लू0 10 द्वारा गलत पंचायतनामा भरना बताया गया, जो कोई अन्य व्यक्ति था, मौहरपाल नहीं था। पी0डब्लू0 11 द्वारा गलत विवेचना करना कहा गया। पी0डब्लू0 12 द्वारा गलत आरोप–पत्र देना बताया गया। पी0डब्लू0 13 द्वारा गलत नक्शा–नजरी बनाना बताया गया। साक्षी पी0डब्लू0 14 द्वारा एक्स–रे रिपोर्ट किसी अन्य व्यक्ति की तैयार करना बताया गया, जो मृतक मौहरपाल की नहीं थी। अभियुक्तगण ने मुकदमा द्वेष व दुर्भावना से राजनैतिक दबाव में चलना बताया गया। अभियुक्तगण ने कुछ और कहने से इनकार किया।

12. अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने हेतु कहा। अभियुक्तगण पक्ष की तरफ से अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य/सफाई साक्ष्य में **डी0डब्लू0 01** के रूप में **महावीर सिंह** व **डी0डब्लू0 02** के रूप में **गजराज सिंह** को परीक्षित कराया है।

13. अभियोजन पक्ष की तरफ से उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी से अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता मौहरपाल उर्फ पप्पू को विधि–विरूद्ध तरीके से थाने में बंधक बनाकर रखा जाना तथा मारपीट कर उसकी हत्या किया जाना युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध है। तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं प्रपत्रों से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप भलीभांति साबित हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण को दोषसिद्ध एवं दण्डित किये जाने की मांग की गयी है।

14. अभियुक्त गजराज की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा, अभियोजन पक्ष के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए, दौरान बहस, मुख्य रूप से इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को रंजिशन गलत एवं झूठा फंसाया गया है तथा अभियुक्त निर्दोष हैं और प्रस्तुत मामले की विवेचना निष्पक्ष एवं विधिसम्मत् न होकर, पक्षपातपूर्ण, दूषित, एवं त्रुटिपूर्ण है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य घटनाक्रम की स्वाभाविक श्रृंखला साबित नहीं है। तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन

साक्षीगण के कथन स्वाभाविक एवं नैसर्गिक नहीं हैं तथा अभियोजन साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1, जो कि तथाकथित मृतक का पुत्र है एवं साक्षी पी0डब्लू0 2, जो कि वादी मुकदमा है एवं साक्षी पी0डब्लू0 3 जो कि तहरीर लेखक है, के बयानों से सम्पूर्ण घटनाक्रम प्रथम दृष्ट्या असत्य एवं राजनीतिक दबाव में पंजीकृत कराया जाना साबित है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि तथाकथित रूप से जो शव बरामद हुआ और जिसकी शिनाख्त मृतक के परिजनों द्वारा की गयी, चिकित्सक की राय के अनुसार वह शव लगभग 15 से 18 वर्ष के व्यक्ति का है, जबकि स्वीकृत रूप से मृतक की उम्र 35 से 40 वर्ष के मध्य या अधिक की थी। तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के अन्य साक्षीगण जैसे कि मृतक की पत्नी एवं अन्य साक्षीगण के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है और अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित कर पाने में असफल रहा है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में समस्त अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी एवं अभियुक्त पर लगाया गया प्रश्नगत आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध नहीं है और अभियुक्त प्रश्नगत आरोपित आरोप में दोषमुक्त होने योग्य हैं।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के सम्बन्ध में निम्न विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं।

1. सुरेश उर्फ लक्ष्मी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2023 (1) जे0आई0सी0 654
2. स्टेट द्वारा सी0बी0आई0 बनाम महेन्द्र सिंह 2011 (1) जे0आई0सी0 894

अभियुक्त महावीर के विद्वान अधिवक्ता भी अभियुक्त गजराज के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन एवं पुनरावृत्ति की गयी तथा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

15. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

16. प्रस्तुत मामले में अवधारण प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को, पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त सन्देह से परे, सिद्ध कर सका है?

17. बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क के अनुक्रम में सर्वप्रथम साक्षी पी0डब्लू0 1 सुनील, साक्षी पी0डब्लू0 2 अतिवीर सिंह एवं साक्षी पी0डब्लू0 3 अहिवरन सिंह की साक्ष्य का मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया जाना न्यायोचित है।

18. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0डब्लू0–01 सुनील पुत्र मौहरपाल सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि वह दिनांक 25.08.2005 को अपनी सगी बड़ी बहन मीना के साथ अपने घर से अपने मामा श्री जगपाल सिंह निवासी अरी, थाना राजेपुर, जिला फर्रूखाबाद के यहाॅ कथा की दावत के प्रोग्राम में गया हुआ था। घटना दिनांक 26.08.2005 की दोपहर लगभग दो बजे की है। उसके पिता श्री मौहरपाल सिंह घर से दोपहर को कहीं बिना बताये चले गये थे। बाद में घटना के चार दिन बाद उसके पिता का कंकाल काली नदी के किनारे मिला था, जिसका पंचायतनामा भरकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था। वह अपने मामा जगपाल सिंह के यहाॅ

से अपनी बड़ी बहन मीना के साथ दिनांक 28.08.2005 को लौटकर अपने घर आया था। वह दिनांक 26.08.2005 को परिवार के कुलदीप के साथ शाम को थाना जैथरा पर अपने पिता मौहरपाल के लिये खाना लेकर नहीं गया था। उसने अपने पिता को रस्सी से बॉधकर छत के कोने में लटकाकर पुलिस के द्वारा मारपीट करते हुए नहीं देखा। उसने कोई घटना नहीं देखी है। वह हाजिर अदालत मुल्जिमान तत्कालीन तैनाती थानाध्यक्ष जैथरा, सिपाही महावीर सिंह, गजराज सिंह व थाने की गाड़ी का चालक मिढ़ई लाल को पहचानता है। उसने इन लोगों के द्वारा अपने पिता मौहरपाल उर्फ पप्पू को अपने घर से ले जाते हुए नहीं देखा था और न ही उसने थाने पर इन लोगों के द्वारा मारपीट करते देखा औरन ही उसने थाने से पिता के शव को जीप में डालकर कहीं ले जाते हुए देखा था।

इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया, जिस कारण इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी0डब्लू0 01 ने कथन किया गया है कि घटना की बावत विवेचक ने उससे कभी भी कोई पूछताछ नहीं की और न ही उसका बयान लिखा है। गवाहान को उसका बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 पढकर सुनाया, तो गवाह ने कहा कि उसका ऐसा बयान पुलिस ने कैंसे लिख दिया, वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। उसे नहीं पता कि घटना वाले दिन गॉव में कोई झगडा या फायरिंग की घटना हुई थी या नहीं। उसके सामने थाना जैथरा की पुलिस उसके पिता मौहरपाल सिंह को पकडकर नहीं ले गयी थी। यह कहना गलत है कि वह आज न्यायालय के समक्ष मुल्जिमान से मिलकर उन्हें बचाने के लिये सही बात नहीं बता रहा है। यह भी कहना गलत है कि वह आज झूठा बयान दे रहा है।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी0डब्लू0 01 ने कथन किया है कि गॉव के ऐहवरन सिंह का मुन्नी देवी से प्रधानी के चुनाव को लेकर विवाद था। उसके पिता मौहरपाल का कोई वास्ता न तो मुन्नी देवी से था, न ही ऐहवरन सिंह से था। ऐहवरन सिंह व उनके भाइयों ने मुन्नी देवी को फंसाने के लिये यह झूठा मुकदमा लिखाया था। वह कुलदीप, प्रदीप, ऐहवरन सिंह को साक्ष्य में पेश नहीं करना चाहता है। उसका परिवार व मुन्नी देवी का परिवार अलग–अलग है। हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर कहा कि उसने उनको घर से पकड़कर अपने पिता को ले जाते हुए नहीं देखा।

इस प्रकार इस साक्षी की समस्त साक्ष्य के अवलोकन एवं विश्लेषण से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट है कि साक्षी घटना वाले दिन अपनी बहन के यहां था परन्तु साक्षी द्वारा यह अवश्य स्वीकार किया गया है कि प्रधानी के चुनाव को लेकर विवाद था।

19. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0डब्लू0–02 अतिवीर सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 25.08.2005 को उसके गॉव में ग्राम प्रधानी हेतु मतदान हुआ था। ग्राम प्रधानी के उम्मीदवार मुन्नी देवी पत्नी अशोक सिंह व अहवरन सिंह बगैरह थे। जिस दिन मतदान हो रहा था, उस दिन इनके समर्थन में आपस में फर्जी मतदान को लेकर झगडा हो गया। दोनों पक्षों के 100–200 लोग मतदान केन्द्र पर इकट्ठा हो गये थे और फायरिंग हुई थी, जिसकी दोनों पक्षों ने रिपोर्ट कराई थी। अगले दिन

दिनांक 26.08.2005 को फिर इन लोगों के समर्थको में गॉव में तनाव हो गया। दोपहर का समय था। वह अपने खेत पर काम कर रहा था। फायरिंग की आवाज सुनकर वह खेत से अपने घर पर आया था। कुछ अज्ञात लोगों की भीड़ को गॉव के बाहर निकलते देखा। घर पर पहुॅचकर उसने घर के सदस्यों से फायरिंग के बारे पूछा, तो घर वालों ने कहा कि प्रधान पद के उम्मीदार समर्थन आपस में फायरिंग कर रहे थे। घर पर उसने घर के लोगों से अपने बड़े भाई मोहरपाल के बारे में पूछा कि भाई कहॉ है, तो उसकी भाभी व घर के लोगों ने बताया कि उसके भाई लगभग दो घंटे पहले घर के काम से बाहर चले गये हैं। फिर उसके बडे भाई लौटकर नहीं आये, तो उन लोगों को उनकी चिंता हुई। उनको तलाश किया। जब उनका कुछ पता नहीं लगा, तो दिनांक 28.08.2005 को वह थाने सूचना देने गया था, तो थाने पर पहले से ही गॉव के काफी लोग मौजूद थे व क्षेत्रीय नेता भी मौजूद थे। गॉव के लोगों के पूछने पर उसने कहा कि भाई दो दिन से गुम है, उनका पता नहीं चल रहा है, तो वहॉ मौजूद लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि अभी वह उसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं। गॉव वालों व क्षेत्रीय नेताओं ने उसके गॉव के अहिवरन सिंह से खुद एक रिपोर्ट लिखवाई और थाने के बाहर, जहॉ वह बैठा था, वहॉ पर उस लिखी रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर करवाये। वह पढ़ा–लिखा नहीं है। केवल हस्ताक्षर कर लेता है। रिपोर्ट में क्या लिखा था, उसे पढकर नहीं सुनाई थी। पत्रावली पर मौजूद तहरीर साक्षी को पढकर सुनाई, तो साक्षी ने कहा कि इसमें लिखी कोई भी बात न तो उसने बोली थी, न ही उसके बोलने पर अहिवरन सिंह ने लिखी थी। उससेगॉव वालों ने इस कागज पर अहिवरन सिंह से लिखवाकर हस्ताक्षर कराये थे। उसे पढकर नहीं सुनाई थी, क्योंकि वह अपने भाई को लेकर परेशान था। उसके भाई मोहरपाल को दिनांक 26.08.2005 को दिन के 02:30 बजे थानाध्यक्ष मनीष कुमार यादव, सिपाही सौदान सिंह, गजराज सिंह उसके सामने उसके घर से पकडकर नहीं लाये थे, न ही कोई पुलिस वाला आया था। पत्रावली पर मौजूद तहरीर कागज सं0 5अ पर बने हस्ताक्षरों की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–01** डाला गया। हाजिर अदालत गजराज सिंह, महावीर सिंह व आज गैर–हाजिर मनीष कुमार यादव और मिढ़ईलाल व सौदान सिंह, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके भाई मौहरपाल उर्फ पप्पू को उसके गॉव से दिनांक 26.08.2005 को उसके घर से पकडकर नहीं ले गये थे और न ही इस दिनांक को दिन के 02:00 बजे प्रधान पद की उम्मीदवार मुन्नी देवी ने नाजायज असलाहों से लैस होकर अपने पति अशोक कुमार व समर्थकों के साथ आकर उससे व उसके परिवार के लोगों से गाली–गलौज की थी, न ही जान से मारने के लिये फायरिंग की थी, न ही उसके भाई को पुलिस वाले थाना पर ले गये और न मुल्जिमान ने उसके भाई को बंधक बनाकर रखा था और न ही हाजिर अदालत मुल्जिमान व गैर–हाजिर मुल्जिम मनीष कुमार यादव व मिढ़ईलाल व सौदान सिंह, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ने उसके भाई की हत्या करके उसके भाई के शव को नष्ट करके साक्ष्य मिटाने के लिये उसके शव को काली नदी में डाला था। उसके भाई के लापता होने के चार दिन बाद उसके भाई का कंकाल काली नदी के किनारे मिला था, जिसके शव का पुलिस वालों ने पंचायतनामा भरा था और उसकी लिखा–पढी पर उसे भी पंच बनाया था और उसके भी हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 89अ/1 लगायत 2 को देखकर कहा कि यह लिखा–पढी है,

जिस पर अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि की। दरोगा जी ने घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ की, न ही उसका बयान लिया था।

इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया, जिस कारण इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी0डब्लू0 02 ने कथन किया है कि गवाह को उसका बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 के बारे में कहा, तो उसने कहा कि उसने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। गवाह को उसका बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 पढकर सुनाया, तो उसने कहा कि कैंसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता है। यह कहना गलत है कि दिनांक 26.08.2005 को दिन के 02:00 बजे के करीब उसके परिवारी प्रधान पद के प्रत्याशी अहिवरन सिंह के विरोधी प्रत्याशी मुन्नी देवी व उसके पति अशोक कुमार व भूरे 20–25 समर्थकों के साथ उसके घर के दरवाजे पर आये हो, इन लोगों ने गाली–गलौज की हो और जान से मारने की नीयत से उन लोगों पर फायरिंग की हो। यह कहना भी गलत है कि दिनांक 26.08.2005 को 02:30 बजे दिन अभियुक्तगण मनीष कुमार यादव तत्कालीन एस0ओ0 जैथरा व अभियुक्तगण गजराज सिंह तत्कालीन दरोगा थाना जैथरा व अभियुक्त महावीर तत्कालीन सिपाही थाना जैथरा अपने साथी पुलिस कर्मी सौदान सिंह व जीप चालक मिढ़ईलाल के साथ उसके घर पर आये हों। यह कहना भी गलत है कि उनके साथ एक और पुलिस की जीप आयी हो, जिसमें पुलिस वाले हो। यह कहना भी गलत है कि विपक्षी मुन्नी देवी के इशारे पर अभियुक्तगण मनीष कुमार यादव व अन्य उसके भाई मौहरपाल उर्फ पप्पू को पकडकर जीप से लेकर थाना जैथरा चले गये हों। यह कहना भी गलत है कि उसे ऐसी कोई जानकारी शाम 06:00 बजे हुई हो कि उसका भाई थाना जैथरा में है, तो वह अपने भाई के लडके सुनील व परिवार के कुलदीप के साथ मौजूरपाल के लिये खाना लेकर थाना जैथरा गये हों। यह कहना भी गलत है कि एस0ओ0 मनीष यादव व अन्य अभियुक्तगण उसके भाई को हुक में रस्सी से बॉधकर उसकी मारपीट कर रहे हों। यह कहना भी गलत है कि दिनांक 27.08.2005 को 06:30 बजे शाम मौहरपाल के लिये खाना लेकर गये हों, तब भी उसके भाई को बुरी तरह मारपीट कर रहे हों। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त मनीष कुमार ने उसके साथ भी गाली–गलौज की हो। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्तगण ने उसके भाई की पीट–पीटकर हत्या कर दी हो, जिसकी सूचना दिनांक 27.08.2005 को रात 01:00 बजे जैथरा के चेयरमैन विजेन्द्र सिंह ने दी हो। यह कहना भी गलत है कि सूचना मिलने पर रात 11:00 बजे वह थाना जैथरा पहुॅचा हो। उसने देखा हो कि एक प्राइवेट जीप, जिसे मिढ़ईलाल चला रहा था। उस जीप में अभियुक्तगण मनीष यादव व अन्य पुलिस वाले उसके भाई के शव को लाद रहे हों। यह कहना भी गलत है कि उसने व उसके साथ के लोगों ने जीप को रोकना चाहा, तो मुल्जिमान गाली–गलौज करके जीप में शव को लकर चले गये हों। यह कहना भी गलत है कि उसके भाई की लाश को छिपाकर ले जाकर गायब कर दिया हो, जिसका शव बाद में काली नदी के किनारे मिला हो। यह कहना गलत है कि उसका मुल्जिमानों से फैसला हो गया हो, इसलिये आज सही बात न कह रहा हो।

इस साक्षी के बयान व जिरह के समस्त अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साक्षी के द्वारा घटना के सम्बन्ध में थाने पर दी गयी तहरीर की पुष्टि की

गयी है तथा उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की गयी है। यद्यपि यह कथन किया गया कि उक्त तहरीर राजनैतिक दबाव में व अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गयी है।

20. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0डब्लू0–03 अहवरन सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत के हुए चुनाव में वह प्रधान पद का प्रत्याशी था। उसके खिलाफ मुन्नी देवी बगैरह प्रधान पद के प्रत्याशी थे। मुन्नी देवी अशोक कुमार की पत्नी है। इस केस के वादी अतिवीर की अशोक बगैरह से रंजिश चल रही थी। उक्त मुकदमे के वादी अतिवीर का भाई मौहरपाल गायब हो गया था। मौहरपाल के गायब होने की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गयी थी। राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति मौहरपाल के गायब हो जाने के बाद अतिवीर सिंह के यहाँ आने–जाने लगे। वह भी सहानुभूति में अतिवीर के यहाँ गया था। वहाँ राजनैतिक लोग उसे मिले और दिनांक 28.08.2005 को राजनैतिक लोगों ने उससे एक तहरीरी रिपोर्ट बोल–बोल कर लिखाई थी, जैसा राजनैतिक लोगों ने उसे बताया था, उसी तरह से उसने तहरीरी रिपोर्ट लिखी थी। पत्रावली पर प्रदर्श क–01 को देखकर व पढ़कर साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीरी रिपोर्ट है, जो उसने राजनीतिक व्यक्तियों के बोलने पर लिखी थी। यह उसके हस्तलेख में है। यह तहरीरी रिपोर्ट अतिवीर सिंह पुत्र राम सिंह ने बोलकर उससे नहीं लिखाई थी।

इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया, जिस कारण इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

साक्षी पी0डब्लू0 03 अहवरन सिंह द्वारा अभियोजन की ओर से की गयी अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया गया है कि इस घटना के संबंध में उसका पुलिस वालों ने कोई बयान नहीं लिया। गवाह को धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढकर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि उसने कैंसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–01 उसने अतिवीर सिंह के बोलने पर लिखा हो और किसी राजनीतिक व्यक्ति के बोलने पर न लिखा हो। यह कहना भी गलत है कि वह मुल्जिमान से आर्थि लाभ लेकर उन्हें लाभ पहुँचाने के लिये झूठा बयान दे रहा हो।

साक्षी पी0डब्लू0 3 अहवरन सिंह तहरीर का लेखक है, जिसके द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर अपने हस्तलेख में होना बताया गया है, जो प्रथम दृष्ट्या इस तथ्य की पुष्टि करता है कि दिनांक 26.08.2005 को गांव में हुई मारपीट व फायरिंग के सम्बन्ध में थाने पर तहरीर दी गयी थी।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य पूर्ण रूप से निरस्त या अमान्य नहीं हो जाती, बल्कि उसकी साक्ष्य का वह अंश, जो विश्वसनीय प्रतीत होता हो, विचारण न्यायालय उसका संज्ञान ले सकती है और जो अंश अविश्वसनीय प्रतीत होता हो, उसको नजरअंदाज कर सकती है।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था **बबले बनाम स्टेट आफ छत्तीशगढ़ ए0आई0आर0 2012 एस0सी0 2621** का भी अवलोकन किया गया। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि वादी मुकदमा पक्षद्रोही हो जाये तब भी मात्र इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट महत्वहीन नहीं होगी।

यदि पक्षद्रोही साक्षी पी0डब्लू0 01 लगायत 03 की साक्ष्य का गहनता से विश्लेषण किया जाये, तो वादी अतिवीर सिंह पी0डब्लू0 02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस आशय का स्पष्ट कथन किया है कि दिनांक 25.08.2005 को गाँव बहगो में प्रधानी चुनाव को लेकर विवाद था तथा अगले ही दिन दिनांक 26.08.2005 को दोपहर के समय गाँव में पुनः समर्थकों के मध्य तनाव व फायरिंग की घटना हुई थी। साक्षीगण के उक्त बयान से घटना का मूल कारण चुनावी रंजिश साबित होती है। इसके अतिरिक्त, पी0डब्लू0—02 ने पत्रावली पर उपलब्ध लिखित तहरीर प्रदर्श क—01 पर बने अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि की है। इसी क्रम में, मृतक के पुत्र सुनील पी0डब्लू0 01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि गाँव में प्रधानी चुनाव को लेकर विरोधी पक्ष मुन्नी देवी से विवाद चल रहा था तथा उसके पिता मौहरपाल दिनांक 26.08.2005 की दोपहर बिना कुछ बताए गायब हो गए थे। पी0डब्लू0—01 का यह कथन इस बात को पुष्ट करता है कि मृतक दिनांक 26.08.2005 की दोपहर तक जीवित था और उसी समय से संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब हुआ। इसी प्रकार, तहरीर के लेखक अहवरन सिंह पी0डब्लू0 03 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रदर्श क—01 की तहरीर उसी के हस्तलेख में है। इस संबंध में अभियोजन का यह तर्क विश्वसनीय प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण प्रभावशाली स्थानीय पुलिस अधिकारी/कर्मचारी (थानाध्यक्ष, उपनिरीक्षक व आरक्षी) रहे हैं तथा कस्टोडियल डेथ व अन्य अपराधों में गवाहों को भय, दबाव में पूर्व में दिये गये बयानों से इंकार किया जाना असम्भव नहीं है। इस प्रकार, साक्षी पी0डब्लू0 01, पी0डब्लू0 02 व पी0डब्लू0 03 भले ही पक्षद्रोही हुए हैं, परंतु उनके बयानों से चुनावी रंजिश, गाँव में फायरिंग, घटना की तिथि से मौहरपाल का गायब होना, दिनांक 26.08.2005 की दोपहर तक मृतक का जीवित होना, थाने में परिजनों की उपस्थिति एवं तहरीर पर हस्ताक्षर जैसे आवश्यक तथ्य साबित होते हैं।

21. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0डब्लू0—04 प्रदीप सिंह पुत्र रामगोपाल** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 25.8.2005 को ग्राम बहगो, थाना जैथरा में ग्राम प्रधान पद हेतु आम पंचायत चुनाव में वोट पड़े थे। गाँव में छोटा—मोटा विवाद हो गया था। ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान पद हेतु गाँव की मुन्नी देवी प्रधान पद की प्रत्याशी थी। दूसरे पक्ष से एवरन थे, जिनके पक्ष में मृतक मौहरपाल उर्फ पप्पू थे। मुन्नी देवी के साथियों ने दिनांक 26.8.2005 को समय दिन के लगभग 02:00 बजे गाँव में तीन—चार मोटरसाईकिल से आकर फायरिंग की थी, जिससे गाँव में आतंक का माहौल पैदा हो गया। गाँव से पुलिस को सूचना दी गयी। आधा, पौन घंटे बाद गाँव बहगो में थाना जैथरा की सरकारी जीप से तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष यादव, उपनिरीक्षक गजराज सिंह, सिपाही सौदान सिंह, सिपाही महावीर सिंह, कॉ० ड्राईवर मिढ़ईलाल, जिन्हें वह पहले से भली भाँति जानता व पहचानता था। इन लोगों ने आकर मुन्नी—देवी के कहने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए गाँव के मौहरपाल उर्फ पप्पू को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर थाना ले जाने लगे। उसके व गाँव वालों के मना करने पर पुलिस वाले नहीं माने और उन लोगों को गाली गलौज करते हुए मौहरपाल उर्फ पप्पू जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गये। शाम को मौहरपाल उर्फ पप्पू का लड़का सुनील व गाँव के कुलदीप व अतिवीर घर से खाना लेकर थाना जैथरा मौहरपाल उर्फ पप्पू को खाना लेकर खिलाने गये, तो उन्होंने आकर उसे बताया कि थानाध्यक्ष जैथरा व

अन्य पुलिस वालों ने मौहरपाल उर्फ पप्पू को खाना नहीं खिलाने दिया और काफी अनुनय विनय करने पर उसे गाली देकर भगा दिया और मौहरपाल उर्फ पप्पू की पिटाई करते रहे। दूसरे दिन दिनांक 27.08.2005 को उक्त तीनों लोग सुबह मौहरपाल को खाना खिलाने गये, तो पुलिस वालों ने सुनील, कुलदीप व अतिवीर को न तो मौहरपाल उर्फ पप्पू को दिखाया, न उससे बात करने दी, बल्कि गाली देकर भगा दिया। दिनांक 27.08.2005 की रात को उसे मालूम हुआ कि तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष यादव, एस0आई0 गजराज सिंह, सिपाही सौदान सिंह, महावीर सिंह व मिढ़ईलाल ने मुन्नीदेवी के कहने पर मौहरपाल उर्फ पप्पू की पीट–पीटकर हत्या कर दी, तब वे सब लोग थाना जैथरा तुरंत गये और भीड़ इकट्ठी होते देख उक्त सभी पुलिस वाले प्राईवेट जीप में मौहरपाल उर्फ पप्पू के शव को जबरन डालकर ले गये। उन लोगों के काफी विरोध करने पर गाली–गलौज करते हुए पुलिस का रोब दिखाकर उन लोगों को पीछे धकेल दिया। उन लोगों ने पीछा किया, किन्तु पकड़ में नहीं आये। घटना की सूचना फोन द्वारा उच्च अधिकारीगण एवं प्रेस मीडिया को दी गयी। थाना जैथरा पर पुलिस भाग गई तथा पी०ए०सी० की कई बटालियन थाना जैथरा पर तैनात कर दी गई। उच्चाधिकारियों एवं प्रेस मीडिया के दबाव पर दिनांक 30.08.2005 को तत्कालीन विवेचक ने थाना नया गाँव के पुलिस की मदद से नगला परम के पास काली नदी से एक सड़ा गला शव निकालकर और मौहरपाल उर्फ पप्पू का शव बताकर पंचायतनामे की कार्यवाही की गयी थी। पंचायतनामे के समय वह वहाँ मौजूद था। पंचायतनामा उसके सामने भरा गया था, जिस पर उसे गवाह पंचान नियुक्त किया गया था। शव का मांस गल चुका था। शव गल चुका था। शव कुछ शेष रह गया था। शव की पहचान पहने हुए कपड़ों व गले में पड़े लॉकेट से की गयी थी। पंचायतनामा पढ़कर उसने अपनी राय व्यक्त कर अपने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने पंचायतनामा कागज सं०–11अ/3 व 11अ/4 पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। पुलिस ने उसका कई बार बयान लिया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष यादव, एस0आई0 गजराज सिंह, सिपाही महावीर सिंह, सिपाही सौदान सिंह व सिपाही मिढ़ईलाल ने गाँव में हुए विवाद में प्रत्याशी प्रधान मुन्नीदेवी के कहने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए मौहरपाल उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर थाने ले जाकर पिटाई करते हुए मौहरपाल उर्फ पप्पू की हत्या कर शव को गायब किया था। उच्च अधिकारियों ने भीड़ का दबाव देखकर आनन फानन में कार्यवाही की।

इस साक्षी के द्वारा जिरह में किये गये कथनों और अभियोजन कथानक पर उनके प्रभाव की विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

22. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 05 गुड्डी** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि करीब 17 वर्ष पूर्व प्रधान पद के चुनाव हुए थे, उसमें उसके परिवार के अहिबरन व गाँव की प्रधान मुन्नीदेवी आमने सामने चुनाव लड़े थे। परिवार का होने के कारण उसके पति मौहरपाल उर्फ पप्पू व उसके परिवार वालों ने अहिबरन का साथ दिया था। चुनाव वाले दिन मुन्नीदेवी से कुछ कहा–सुनी हो गयी थी। इसी रंजिश को लेकर अगले दिन चार–पाँच मोटर साईकिल से जैथरा से कुछ लोग आये, जिनके साथ मुन्नीदेवी व उनका लड़का भी था। ये लोग आकर उसके दरवाजे पर फायर करने लगे, जिस पर उसके पति मौहरपाल उर्फ पप्पू पिछले दरवाजे से

निकलकर एवरन के घर भाग गया, तभी उन लोगों ने सब दरवाजे बंद कर लिये, तभी उक्त लोगों ने अहिबरन के दरवाजे पर जाकर फायरिंग शुरू कर दी। इसके करीब आधा घंटे बाद लगभग 02:30 बजे दिन थाना जैथरा की पुलिस एक जीप में आयी, जिसमें दरोगा जी मनीष यादव, गजराज सिंह दरोगा जी, सिपाही सौदान सिंह, महावीर सिंह व जीप के ड्राइवर मिढ़ाईलाल आये और उसके पति मोहरपाल उर्फ पप्पू को पकड़कर जीप में बैठा लिया। वे सब लोग जीप के पास गये और कहा कि उसके पति मोहरपाल उर्फ पप्पू का कोई दोष नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वे एस0ओ0 जैथरा और पुलिस वाले हैं, जिन्हें उसके परिवार के सभी लोग जानते–पहचानते थे। पुलिस वालों ने उन सब को डंडे से मारकर भगा दिया और उसके पति मोहरपाल उर्फ पप्पू को जीप में डाल ले गये। शाम को उसका बेटा सुनील, कुलदीप व अतिवीर उसके पति को खाना लेकर मिलने थाने गये, तो इन लोगों ने आकर बताया कि पुलिस उसके पति मोहरपाल उर्फ पप्पू को थाने के अंदर नीम से बाँधकर पिटाई कर रही है। अगले दिन उसका बेटा सुनील, अतिवीर, कुलदीप खाना लेकर थाने गये, तो फिर पुलिस वाले उसके पति मोहरपाल उर्फ पप्पू की नीम से बाँधकर पिटाई कर रहे थे। रात में करीब 10:00 बजे जैथरा के चेयरमैन बिजेन्द्र सिंह चौहान का फोन अहिवरन के फोन पर आया कि थाना जैथरा के अंदर ही पुलिस वालो ने मोहरपाल उर्फ पप्पू की पीट–पीटकर हत्या कर दी है। सूचना पर उसका बेटा सुनील, प्रदीप, एवरन, कुलदीप व अतिवीर थाना जैथरा गये, तो आकर इन लोगो ने बताया कि मोहरपाल उर्फ पप्पू की लाश को गाड़ी में डालकर पुलिस वाले अलीगंज की तरफ भगा ले गये हैं, सभी लोगो ने गाड़ी रोकने का प्रयास किया, तो धक्का मारकर सबको हटा दिया और गाड़ी भगा ले गये। दूसरे दिन उसके गाँव व क्षेत्र के लोगों ने थाने का घेराव किया, तब उच्च अधिकारियो के दबाव पर रिपोर्ट दर्ज होकर कार्यवाही हुई। पुलिस वालो ने उसका बयान लिया था।

इस साक्षी के द्वारा जिरह में किये गये कथनों और अभियोजन कथानक पर उनके प्रभाव की विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

23. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 06 कुलदीप सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि उसके गांव में दिनांक 25.08.2005 को प्रधान पद हेतु चुनाव हुआ था, जिसमे उसके भाई अहिबरन व दूसरे पक्ष से मुन्नी देवी चुनाव लड़ी थी। गांव में कुछ झगड़ा चुनाव वाले दिन हुआ था। मुन्नी देवी समाजवादी पार्टी से समर्थित थी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुन्नी देवी के समर्थन में दूसरे दिन दिनांक 26.08.2005 को मुन्नी देवी के समर्थक कुछ बाहरी लड़को को लाकर गांव में गाली गलौच व फायरिंग करायी। हम गांव वालो ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाना जैथरा से पुलिस की गाड़ी थानाध्यक्ष मनीष यादव, सिपाही सौदान सिंह, महावीर व गजराज तथा गाड़ी का ड्राइवर मेढ़ईलाल गांव में आ गये और मुन्नी देवी के इशारे पर मौहरपाल उर्फ पप्पू को पकड़कर जीप में बैठाकर ले गये। उन लोगों ने पुलिस को समझाया और रोका कि उन लोगों ने कोई फायरिंग नहीं की, आप लोग जांच कर लें, तो पुलिस वाले उक्त लोगों ने उन लोगों की कुछ नहीं सुनी और मोहरपाल उर्फ पप्पू को उन सब लोगों के सामने गाड़ी में बैठाकर थाना जैथरा ले गये। उस समय करीब दोपहर के 2–2.30 बजे थे। उसी दिन शाम को 6–6.30 बजे वह, सुनील व अतिवीर, मोहरपाल उर्फ पप्पू के लिये थाना जैथरा में

खाना लेकर गये, तो वहां उन लोगों ने जाकर देखा कि थानाध्यक्ष मनीष यादव सिपाही सौदान सिंह, महावीर सिंह, गजराज सिंह व मेढ़ई लाल, मोहरपाल उर्फ पप्पू को थाना जैथरा में बरामदे में बांधकर पीट रहे थे। मोहरपाल जोर–जोर से चिल्ला रहा था। पुलिस वाले कह रहे थे कि तुझे जिन्दा नही छोड़ेंगे। उन लोगों ने एस0ओ0 मनीष यादव से प्रार्थना की कि ऐसा मत करो, तो उसे गाली गलौच देकर मुझे भगा दिया। अगले दिन दिनांक 27.08.2005 की शाम 06:30 बजे अतिवीर खाना लेकर जैथरा थाने गये, तब भी उक्त सभी पुलिस वाले मौहरपाल उर्फ पप्पू की पिटाई कर रहे थे, यह बात अतिवीर ने आकर उनको बतायी। तब उन लोगों ने विजेन्द्र सिंह चेयरमैन जैथरा एवं अन्य लोगों को इस बारे में बताया। उसी दिन दिनांक 27.08.2005 को जैथरा चेयरमैन विजेन्द्र सिंह का फोन आया कि मोहरपाल उर्फ पप्पू की पुलिस पिटाई के कारण थाना जैथरा में मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर वह, अतिवीर और अहबरन सिंह और गांव के अन्य लोग थाने पहुंचे, तो पुलिस वाले मौहरपाल उर्फ पप्पू के शव को गाड़ी में डालकर गायब करने की नियत से ले जा रहे थे। उन लोगों ने गाड़ी रोकी, तो उन लोगों को धक्का मारकर डंडे से धमकाकर हटा दिया और मोहरपाल के शव को प्राइवेट गाड़ी में डालकर ले गये। इस बात की सूचना उन लोगों ने उच्च पुलिस अधिकारियों को टेलीफोन से तथा पत्रकारों को दी। सुबह आस–पास सूचना फैली, तो काफी भीड़ ट्रैक्टरो से आ गयी, पत्रकार पहुंच गये तथा क्षेत्र के सभी नेता पहुंच गये, तब अधिकारियों के हस्तक्षेप पर अतिवीर ने थाना जैथरा में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस वाले उक्त सभी थाने से गायब हो गये। पुलिस विवेचक ने कई बार उसके बयान लिये जिन्हें उसने पूरी घटना बतायी।

इस साक्षी के द्वारा जिरह में किये गये कथनों और अभियोजन कथानक पर उनके प्रभाव की विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

24. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 07 पूर्व चेयरमैन विजेन्द्र सिंह चौहान** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि वह नेहरू नगर इण्टर कॉलेज जैथरा में प्रधानाचार्य रहा है। घटना के समय सन 2005 में नगर पंचायत जैथरा में चेयरमैन था। दिनांक 26.08.2005 को ग्राम बहगो में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें थानाध्यक्ष मनीष यादव, गजराज व सौदान सिंह उपनिरीक्षक व सिपाही, मोहरपाल उर्फ पप्पू को गांव से पकड़कर थाने लाये थे। इस बात की चर्चा पूरे जैथरा कस्बे में हो गयी थी। पुलिस ने मोहरपाल उर्फ पप्पू को हवालात में बन्द किया था और लगातार मारपीट करते रहे, जिस कारण अगले दिन दिनांक 27.08.2005 को पुलिस द्वारा की गयी पिटाई के कारण शाम को करीब 8–9 बजे मोहरपाल उर्फ पप्पू की मृत्यु पुलिस हिरासत में थाना जैथरा में हो गयी। उसके मरने की सूचना सारे कस्बे में फैल गयी। तब उसने इस बात की सूचना ग्राम बहगो के प्रधान अहिबरन सिंह को टेलीफोन द्वारा दी। वह सूचना पर थाना जैथरा गया था, तब तक मोहरपाल के शव को पुलिस वाले गायब करने के लिये ले गये। अगले दिन क्षेत्र की जनता द्वारा थाने का घेराव किया गया, तब पुलिस ने रिपोर्ट लिख के कार्यवाही की। पुलिस ने उसका कई बार बयान लिया।

वर्तमान प्रकरण में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से घटनाक्रम की स्वाभाविक श्रृंखला साबित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से एवं साक्षीगण के बयानों, जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामला पूरी तरह से प्रत्यक्ष साक्ष्य का नहीं है और पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला भी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अतिरिक्त धारा 201 का आरोप भी विरचित किया गया है। इस स्तर पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 का अवलोकन एवं उल्लेख किया जाना आवश्यक है :–

201. Causing disappearance of evidence of offence, or giving false information to screen offender.—

Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, causes any evidence of the commission of that offence to disappear, with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any infor-mation respecting the offence which he knows or believes to be false;if a capital offence.— shall,

If the offence which he knows or believes to have been committed is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine;

If punishable with imprisonment for life.— and if the offence is punishable with imprisonment for life, or with imprisonment which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine;

If punishable with less than ten years' imprisonment.— and if the offence is punishable with imprisonment for any term not extending to ten years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence, for a term which may extend to one-fourth part of the longest term of the imprisonment provided for the offence, or with fine, or with both.IllustrationA, knowing that B has murdered Z, assists B to hide the body with the intention of screening B from punishment. A is liable to imprisonment of either description for seven years, and also to fine.

तहरीर के अनुसार अभियुक्तों द्वारा मृतक को गाँव से पकड़कर ले जाना, परिजनों द्वारा उसे थाने में बंद/मारपीट की स्थिति में देखना, रात में पुलिस द्वारा प्राइवेट गाड़ी से मृतक के शव को ले जाते देखना, बाद में काली नदी से एक सड़े–गले कंकाल की प्राप्ति होना तो दर्शित होता है। जैसा कि ऊपर यह पाया गया है कि वर्तमान मामला पूरी तरह से प्रत्यक्ष साक्ष्य का नहीं है और पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला भी नहीं है।

25. इस मामले में अभियोजन की ओर से तथ्य के कुल 07 साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं, जिनमें से साक्षी पी0डब्लू0 01 सुनील मृतक मौहरपाल का लड़का है, पी0डब्लू0 02 अतिवीर सिंह वादी मुकदमा व मृतक मौहरपाल का सगा

भाई है, पी0डब्लू0 03 अहबरन सिंह तहरीर लेखक है। साक्षी पी0डब्लू0 1, पी0डब्लू0 2 एवं पी0डब्लू0 3 की साक्ष्य का अवलोकन एवं विश्लेषण निर्णय में ऊपर किया जा चुका है।

इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के अन्य साक्षीगण की साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

पी0डब्लू0 04 प्रदीप सिंह है, पी0डब्लू0 05 गुड्डी मृतक मौहरपाल की पत्नी है, पी0डब्लू0 06 कुलदीप सिंह है व पी0डब्लू0 07 तत्कालीन चेयरमैन विजेन्द्र सिंह चौहान है।

26. तहरीर प्रदर्श क–01 के अनुसार दिनांक 26.08.2005 को दोपहर लगभग 02:00 बजे ग्राम बहगो, थाना जैथरा, एटा में प्रधान पद प्रत्याशी मुन्नी देवी अपने पति अशोक सिंह, पुत्रों मनोज व भूरे तथा समर्थकों के साथ असलहों से लैस होकर आई। उन्होंने चुनावी रंजिश को लेकर वादी अतिवीर सिंह के साथ गाली–गलौज की और जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। दोपहर लगभग 02:30 बजे जैथरा थानाध्यक्ष मनीष कुमार यादव, उपनिरीक्षक गजराज सिंह, सिपाही सौदान सिंह व महावीर सिंह मौके पर पहुँचे। ग्रामवासियों के विरोध के बावजूद वे वादी पी0डब्लू0 02 अतिवीर के भाई मौहरपाल उर्फ पप्पू को शाम करीब 06:00 बजे जबरन पकड़कर थाने ले गए। उसी दिन दिनांक 26.08.2005 को सॉय वादी अतिवीर सिंह पी0डब्लू0 02, मौहरपाल का लड़का पी0डब्लू0 01 सुनील व कुलदीप सिंह पी0डब्लू0 06 खाना लेकर थाने गये, तो उन्होंने एस0ओ0 मनीष यादव को अपने स्टाफ सहित मौहरपाल उर्फ पप्पू को उल्टा लटकाकर बुरी तरह से मारपीट करते देखा और उक्त लोगों को गाली–गलौज कर भगा दिया। अगले दिन दिनांक 27.08.2005 को सुबह 06:30 वादी पी0डब्लू0 02 अतिवीर सिंह जब खाना लेकर गया, तब भी अभियुक्तगण थाने पर हवालात में बंद करके मौहरपाल को पीट रहे थे और कह रहे थे कि इसे जिन्दा नहीं छोडेंगे। दिनांक 27.08.2005 को रात लगभग 10:00 बजे परिजनों को मौहरपाल की हत्या की सूचना मिली। जब वे थाने पहुँचे, तो एस.ओ. मनीष यादव मय स्टाफ एक प्राइवेट जीप, जिसे थाने का ड्राइवर चला रहा था, में मौहरपाल के शव को लादकर गायब करने की नीयत से ले जा रहे थे।

इस प्रकार तहरीर के अनुसार सुनील, अतिवीर सिंह व कुलदीप ने अभियुक्तगण द्वारा मृतक मौहरपाल को घर से ले जाते हुए, उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा थाने में बंधक बनाकर मारपीट करते हुए एवं उसकी हत्या होने के उपरांत उसके शव को अभियुक्तगण द्वारा एक प्राइवेट जीप में डालकर ले जाते हुए देखना बताया गया है।

27. पी0डब्लू0 04 प्रदीप सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए दिनांक 25.08.2005 को मतदान होना, मुन्नी देवी पक्ष द्वारा दिनांक 26.08.2005 को फायरिंग की घटना कारित करना, पुलिस अभियुक्तगण द्वारा मृतक को थाने ले जाना, उसे बंधक बनाकर मारपीट कर प्रताड़ित करना और चेयरमैन पी0डब्लू0 07 द्वारा मृतक की हत्या अभियुक्तगण द्वारा थाने में किये जाने की सूचना देने पर उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ थाने जाने का कथन किया है।

साक्षी पी0डब्लू0 04 ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–03 पर बताया है कि ''मतदान दिनांक 25.08.2005 को हुआ था। उस दिन थोड़ा बहुत विवाद हुआ। दूसरे दिन मुन्नी देवी के साथ तीन, चार मोटर

साईकिल पर मुन्नी देवी, इनके पति अशोक कुमार और बाहरी गुण्डे आये, जो मौहरपाल उर्फ पप्पू के दरवाजे से फायरिंग कर आतंक फैलाते हुए एवरन सिंह के घर तक आये। वे मोटर साईकिलें किस नंबर की थीं, नहीं पता। वह अपने घ ार के दरवाजे पर खड़ा था, घटना उसने करीब 100 मीटर की दूरी से देखा। गाँव के तमाम लोग इकट्ठे हो गये थे। घटनास्थल के आसपास सुखपाल, हरवीर, अजीत सिंह, झींगुरलाल, भंवरपाल आदि के मकान हैं। फायरिंग मुन्नी देवी के पक्ष के लोगों द्वारा की गयी। वह नहीं बता सकता कि अन्य किसने फायरिंग की या नहीं। फायरिंग की सूचना फोन से थाने दी गयी थी। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, टेलीफोन थे। आधा, पौन घंटे बाद पुलिस आ गयी थी। फायरिंग करने वालों को पुलिस पकड़कर नहीं ले गयी। मुन्नी देवी व उनके परिवार वालों को पुलिस पकड़कर नहीं ले गयी। पुलिस मौहरपाल उर्फ पप्पू को पकड़कर ले गयी थी।''

इस संबंध में बचाव पक्ष का तर्क है कि साक्षी 100 मीटर की दूरी से मोटरसाइकिलों के नंबर नहीं बता सका, आसपास के अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों की साक्ष्य नहीं कराई गई तथा पुलिस ने विरोधी पक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिससे स्पष्ट है कि मौहरपाल को पुलिस द्वारा ले जाने की बात झूठी है। बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क इसलिये स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि 100 मीटर की दूरी से मोटरसाइकिलों के नंबर याद न रहना एक अत्यंत स्वाभाविक मानवीय आचरण है। घटना के समय गाँव में अफरा–तफरी का माहौल था, जिससे स्वतंत्र लोगों का पुलिस के सामने न आना व्यावहारिक है।

पी०डब्लू० 04 ने प्रतिपरीक्षा में आगे यह भी कथन किया है कि "उसके सामने पुलिस वालों ने मौहरपाल की हत्या नहीं की। मौहरपाल की हत्या के संबंध में उसे विजेन्द्रपाल सिंह चेयरमैन ने फोन द्वारा बताया था कि पुलिस वालों के पीटने से मौहरपाल की मृत्यु हुई है। पुलिस वाले मौहरपाल का शव गायब करने की नीयत से एक प्राइवेट कार से ले जा रहे थे। मौहरपाल को गाड़ी से अलीगंज की तरफ ले जाते समय मोटरसाइकिल से वह, उसका भाई कुलदीप, अतिवीर, सुनील आदि आ गये थे। उनके पास चार पहिया वाहन यू0पी0 82सी 3017 भी था। उन्होंने वाहनों से पुलिस वालों का पीछा किया, फिर भी पुलिस वालों को वे रोक नहीं पाये"।

बचाव पक्ष का तर्क है कि साक्षी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उसने अपनी आँखों से पुलिस को हत्या करते नहीं देखा और जब परिजनों के पास गाड़ियाँ थीं, तो वे पुलिस को रोक क्यों नहीं सके, जिससे शव को ले जाने की कहानी पूरी तरह बनावटी है। चूँकि वर्तमान प्रकरण में मौहरपाल (मृतक) से तथाकथित मारपीट कमरों/हवालात में कारित की गयी थी, जिसका कोई प्रत्य क्षदर्शी होना सम्भव नहीं है।

आगे साक्षी पी०डब्लू० 04 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि "मौहरपाल का शव दिनांक 30.08.2005 को काली नदी पर नगला परम में बरामद हुआ था। शव की शिनाख्त उसके कपड़ों व गले में पड़े लाकेट से की थी। शव पूरी तरह गला नहीं था। मौहरपाल पायजामा व लाल शर्ट पहने था।''

इस संबंध में बचाव पक्ष का तर्क है कि जब डॉक्टर के अनुसार शव अत्यधिक सड़ा–गला था, तो साक्षियों द्वारा शिनाख्त किया जाना असंभव है तथा चिकित्सीय रिपोर्ट में उम्र 15 वर्ष आने से यह साबित होता है कि यह शव मौहरपाल का नहीं था, परंतु न्यायालय की राय में किसी सड़े–गले शव की

शिनाख्त के लिए मृतक के विशिष्ट वस्त्र (लाल शर्ट, पायजामा) और उसके शरीर पर धारण किए गए व्यक्तिगत आभूषण या धार्मिक प्रतीक (गले का ताबीज/लॉकेट) विश्वसनीय प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। साक्षी पी0डब्लू0 04, जो कि मृतक का चचेरा भाई था, उसने उन्हीं कपड़ों व लॉकेट से पहचान की।

बचाव पक्ष का यह तर्क है कि इस साक्षी के द्वारा दिया गया बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारित है और साक्षी अनुश्रुत साक्षी की श्रेणी में आता है। अतः इस साक्षी के बयान का कोई लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं मिलता है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि साक्षी द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि घटना वाले दिन वह गांव में मौजूद था और मतदान दिनांक 25.08.2005 को हुआ था। उस दिन थोड़ा बहुत विवाद हुआ। दूसरे दिन मुन्नी देवी के साथ तीन, चार मोटर साईकिल पर मुन्नी देवी, इनके पति अशोक कुमार और बाहरी गुण्डे आये, जो मौहरपाल उर्फ पप्पू के दरवाजे से फायरिंग कर आतंक फैलाते हुए एवरन सिंह के घर तक आये। वे मोटर साईकिलें किस नंबर की थीं, नहीं पता। वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, घटना उसने करीब 100 मीटर की दूरी से देखा। गाँव के तमाम लोग इकट्ठे हो गये थे। घटनास्थल के आसपास सुखपाल, हरवीर, अजीत सिंह, झींगुरलाल, भंवरपाल आदि के मकान हैं। फायरिंग मुन्नी देवी के पक्ष के लोगों द्वारा की गयी। उसने 100 मीटर की दूरी से घटना देखी थी। साक्षी के द्वारा न्यायालय में दिये बयान में यह भी बयान दिया गया कि घटना वाले दिन पुलिस आयी थी।

साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि गाँव से पुलिस को सूचना दी गयी। आधा, पौन घंटे बाद गाँव बहगो में थाना जैथरा की सरकारी जीप से तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष यादव, उपनिरीक्षक गजराज सिंह, सिपाही सौदान सिंह, सिपाही महावीर सिंह, काँ० ड्राईवर मिढ़ईलाल, जिन्हें वह पहले से भली भाँति जानता व पहचानता था। इन लोगों ने आकर मुन्नी–देवी के कहने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए गाँव के मौहरपाल उर्फ पप्पू को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर थाना ले जाने लगे। उसके व गाँव वालों के मना करने पर पुलिस वाले नहीं माने और उन लोगों को गाली गलौज करते हुए मौहरपाल उर्फ पप्पू जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गये।

इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0 4 इस तथ्य का प्रत्यक्ष साक्षी है कि घ टना वाले दिन गांव में विवाद हुआ था और फायरिंग हुई थी और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस आयी थी और पुलिस वाले, तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष यादव, उपनिरीक्षक गजराज सिंह, सिपाही सौदान सिंह, सिपाही महावीर सिंह, काँ० ड्राईवर मिढ़ईलाल मौहरपाल उर्फ पप्पू को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर थाने में ले गये।

इतना अवश्य है कि इस साक्षी के द्वारा थाने पर की गयी मारपीट व अन्य के सम्बन्ध में दिया गया बयान अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आता है।

न्यायालय द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी०डब्लू० 04 ने कथन किया है कि "मुन्नी देवी सपा की थी, जिसके विरुद्ध एवरन सिंह भाजपा पार्टी का चुनाव लड़ रहा था। मौहरपाल एवरन का समर्थक था। पुलिस वाले मौहरपाल को दिन में करीब 2 बजे जैथरा थाने ले गये थे, जो गाँव से करीब साढ़े तीन किमी0 दूर है। वह पुलिस के पीछे–पीछे नहीं गया था, बल्कि अंदाजे के आधार पर बता रहा है। उसने मौहरपाल को थाने में बंद नहीं देखा। उसके

भाई कुलदीप, अतिवीर, सुनील शाम 07:30 बजे खाना देने गये थे, तब उन्होंने मौहरपाल को थाने में बंद देखा था, जिसे पुलिसकर्मी पीट रहे थे। उन लोगों ने आकर गाँव में सभी को इस बारे में बताया था।"

आगे न्यायालय द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी०डब्लू० 04 ने यह कथन किया है कि "जब पुलिस वालों ने मौहरपाल को गिरफ्तार किया, तो वह स्वस्थ था, उसके कोई चोट नहीं थी। दिनांक 27.08.2005 को रात करीब 10–11 बजे चेयरमैन विजेन्द्र सिंह की सूचना पर वह, कुलदीप, अतिवीर, सुनील, अहबरन, सत्यवीर आदि सूमो व मोटरसाइकिल से 10 मिनट में थाने पहुँचे। देखा कि हरे रंग की क्वालिस में बीच में मौहरपाल को लेटा रखा था। उन लोगों ने पुलिस को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अलीगंज की तरफ भगा ले गयी। पीछा ललहेट तक किया। वापस थाने आये, तो थाने में कोई दरोगा/सिपाही नहीं था, केवल पी0ए0सी0 थी। पी०सी०ओ० से डी०एम०, उच्चाधिकारियों व प्रेस को सूचना दी। दिनांक 28.08.2005 को हजारों लोग इकट्ठा होने पर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। उसने क्वालिस गाड़ी के शीशे से झांककर मौहरपाल को उसके कपड़ों से पहचाना था, चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह लेटा था। एस०ओ० सादे कपड़ों में व अन्य सिपाही/ड्राइवर वर्दी में थे।"

28. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 05 गुड्डी मृतक मौहरपाल की पत्नी है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और कथन किया है कि करीब 17 वर्ष पूर्व प्रधानी के चुनाव में मुन्नी देवी से कहासुनी होने के कारण रंजिशन चुनाव के अगले दिन कुछ लोग मोटर साइकिल से आये और आकर उसके दरवाजे पर फायरिंग की तथा फायरिंग के करीब आधे घण्टे बाद थाना जैथरा की पुलिस की एक जीप आयी, जिसमें दरोगा जी मनीष यादव, गजराज सिंह, सिपाही सौदान सिंह, महावीर सिंह एवं मिढ़ई लाल आये और उसके लड़के मौहरपाल को जबरन जीप में बिठाकर ले गये और जब उसका लड़का सुनील, कुलदीप व अतिवीर थाने पर खाना लेकर गये तब उन लोगों ने मोहरपाल की पिटाई करते हुए देखा। रात में करीब 10 बजे चैयरमैन विजेन्द्र सिंह का फोन आने पर थाने के अन्दर पुलिस वालों द्वारा पीट–पीटकर पति की हत्या की सूचना मिली, सूचना पर जब सुनील, प्रदीप, अहिवरन एवं कुलदीप व अतिवीर थाना जैथरा गये तब इन लोगों ने मौहरपाल की लाश को गाड़ी में डालकर पुलिस वालों द्वारा ले जाया जाना देखा और इस साक्षी को भी बताया गया।

साक्षी पी०डब्लू० 05 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी यही कथन किया है कि मौहरपाल उर्फ पप्पू उसके पति थे। आगे कथन किया है कि प्रधानी का चुनाव मुन्नीदेवी व एवरन सिंह लड़ रहे थे, इस बात की उसे जानकारी है। चुनाव के दूसरे दिन गाँव में फायरिंग हुयी थी। यह कहना सही है कि पुलिस वाले उसके पति को लेकर थाने गये थे। वह दरवाजे पर खड़ी थी। आगे कथन किया है कि अपने पति की मौत की सूचना मिलने पर वह दूसरे दिन थाने गयी थी। मौत की सूचना जैथरा के चेयरमैन बिजेन्द्र सिंह ने ऐबरन को फोन से दी थी। उसे पूरी जानकारी है कि दिनांक 26.08.2005 को उसके पति को पुलिस पकड़कर ले गयी। उसका बेटा सुशील व परिवार के अन्य लोग थाने जाते रहे, जिसकी पूरी जानकारी उसे थी। आगे कथन किया है कि घटना करीब 17 साल पहले की है। घटना करीब 02:00 बजे दिन की है। तारीख उसे याद नहीं है।

गाँव में प्रधानी का चुनाव चल रहा था। मुन्नी देवी, मनोज, अशोक एवं भूरे चुनाव लड़ रहे थे। इन लोगों के अलावा और कौन खड़ा था, उसे नहीं मालूम। मुन्नी देवी एवं मेरे परिवार के अहिवरन में मुख्य मुकाबला था। दोनों पक्षों में मारपीट व फायरिंग हुई थी। उसके पति व घर वालों से नहीं हुई थी। चुनाव में उसके पति ने अहिवरन का समर्थन किया था। गाँव में एक पुलिस की जीप आयी थी, जिसमें पाँच पुलिस वाले व एक ड्राईवर था। इस घटना से पहले वह कभी थाने नहीं गयी थी। पुलिस वाले दोनों पक्षों को पकड़कर नहीं ले गये थे, केवल उसके पति को पकड़कर ले गये थे। वह अपने पति के साथ थाने नहीं गयी थी। थाने पर उसके पति दो रात रहे, दूसरी रात में मार दिये थे। वह अपने पति को देखने थाने नहीं गयी थी। उसका बेटा सुभाष गया था। उसके सामने उसके पति के साथ पुलिस वालों ने थाने में मारपीट नहीं की थी, उसके बेटे के सामने की थी। उसके बेटे सुभाष ने बताया था कि पिताजी को उल्टा लटकाकर मारपीट कर रहे हैं। लड़के ने इसके अलावा उसे कुछ नहीं बताया। आगे कथन किया है कि घटना से पहले फायरिंग की घटना उसके दरवाजे पर हुई थी। फायरिंग के समय उसके पति घर पर मौजूद थे। उसके पति को पुलिस वाले अहिवरन के घर से पकड़कर ले गये थे, क्योंकि वह फायरिंग होने पर पीछे के दरवाजे से निकलकर अहिवरन के घर भाग गये थे।

साक्षी पी०डब्लू० 05 ने न्यायालय द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में भी यही कथन किया है कि ''जैथरा थाने की पुलिस उसके सामने उसके पति मौहरपाल को दिन में करीब 02:00 बजे पकड़कर गाँव से ले गयी थी। फिर उसके पति लौटकर नहीं आये थे। वह अपने पति को देखने थाने नहीं गयी थी, परन्तु उसके लड़के सुनील, कुलदीप, अतिवीर थाने गये थे, जहाँ उन्होंने पुलिस वालों को मोहरपाल को उल्टा लटकाकर मारते पीटते देखा था। मोहरपाल के लिये खाना उसके घर से थाने जाता था। उसके पति मौहरपाल के विरुद्ध मुकदमा मुन्नी देवी ने लिखवाया था। उसके पति को कोई बीमारी नहीं थी। जब तक पुलिस उसके पति को ले गयी, तो वह स्वस्थ था। उसके पति की लाश काली नदी से मिली थी। उसने अपने पति की लाश नदी के नीचे देखी थी। जब लाश घर आ गयी, तो देखी थी। वह लाश उसके पति की ही थी। उसने अपने पति को ताबीज, लाल सर्ट, पजामा से पहचाना था। उसके पति के फटे पजामे में खून लगा था। जो पुलिस वाले उसके पति को ले गये थे, वे कुल पांच थे, जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। पुलिस वाले उसके पति को जबरदस्ती पकड़कर ले गये थे।''

इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0 05, जो कि मृतक की पत्नी है, की प्रतिपरीक्षा में भी ऐसे तथ्य निकलकर आये हैं, जो उसकी मुख्य परीक्षा के कथनों एवं अभियोजन कथानक की पुष्टि करते हैं। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में पुलिस द्वारा पति को ले जाने, कस्टडी में प्रताड़ना और कपड़ों व लॉकेट से शव की शिनाख्त के मुख्य कथानक की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से इस आशय का कथन किया गया है कि कुलदीप व अन्य लोग थाना जैथरा गये थे और उन लोगों के द्वारा मौहरपाल को थाने की पुलिस द्वारा मारापीटा जाना और उसके शव को गाड़ी में डालकर ले जाये जाने की बात बताये जाने पर स्पष्ट कथन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 05 से पर्याप्त जिरह की गयी है, किंतु कोई भी महत्वपूर्ण विरोधाभास इस साक्षी की

साक्ष्य में नहीं आया है, जिससे इस साक्षी की साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती हो अथवा बचाव पक्ष के तर्कों को कोई बल मिलता हो अथवा जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता हो।

29. पी0डब्लू0 06 के रूप में अभियोजन की ओर से कुलदीप सिंह को परीक्षित कराया गया है, जो कि इस मामले का महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। साक्षी पी०डब्लू० 06 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''माह अगस्त 2005 में प्रधानी चुनाव चल रहा था। चुनाव में उसके भाई अहबरन सिंह व मुन्नी देवी मुख्य रूप से थे। अन्य आठ लोग और थे। उस समय मौहरपाल उर्फ पप्पू की उम्र लगभग 40 वर्ष से कम थी। घटना की सूचना जैथरा के चेयरमैन विजेन्द्र सिंह से प्राप्त हुयी थी। दिनांक 26.08.2005 को उसके गांव में प्रधानी के चुनाव के कारण फायरिंग हुयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर वह थाना जैथरा में था। उस समय घटना की सुनकर हजारों आदमी इकट्ठा हो गये थे।''

आगे कथन किया है कि ''यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखी। यह कहना गलत है कि प्रधानी चुनाव के कारण थाना खाली हो। यह कहना सही है कि दिनांक 25.08.2005 को प्रधानी का चुनाव था। यह कहना गलत है कि 26.08.2005 को अभियुक्त गजराज सिंह थाने पर न हो और छुट्टी गया हो, क्योंकि वह उसके गांव में आया था। गांव में एक गाड़ी पुलिस की आयी थी। गजराज सिंह, पुलिस की जो जीप आयी थी, साथ आया था। गांव में फायरिंग होने पर फोन द्वारा सूचना पुलिस को दी गयी, तब पुलिस आयी थी। उसके भाई ने सूचना दी थी। जिस समय पुलिस आयी, उस समय मौहरपाल उर्फ पप्पू अन्य लोगों के साथ अहिबरन के घर के सामने बैठा था। सभी लोग भाग गये, लेकिन मौहरपाल को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के आने पर वहां पर मुन्नी देवी व उनके लड़के व पति मौजूद थे।''

बचाव पक्ष का तर्क है कि अभियुक्त गजराज सिंह घटना के समय चुनाव ड्यूटी से वापस आकर अनुपस्थित/छुट्टी पर था, इसलिए साक्षी पी0डब्लू0 06 द्वारा उसे गाँव में देखने के संबंध में जो साक्ष्य दिया है, वह असत्य है, परंतु अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत अन्यत्र उपस्थिति के साक्ष्य की तुलना में प्रत्यक्षदर्शी का सशपथ बयान अधिक विश्वसनीय है। अन्यत्र उपस्थिति का बचाव तब तक स्वीकार्य नहीं होता, जब तक कि अभियुक्त अपनी गैर–मौजूदगी को पूरी तरह से संदेह से परे साबित न कर दे, जबकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अभियुक्त की मौके पर उपस्थिति का सकारात्मक साक्ष्य दिया गया है।

साक्षी पी०डब्लू० 06 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि "गाँव में फायरिंग होने पर फोन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी, तब पुलिस आई थी। जिस समय पुलिस आई, मौहरपाल अन्य लोगों के साथ अहबरन के घर के सामने बैठा था। सभी लोग भाग गए, लेकिन मौहरपाल को पुलिस ने पकड़ लिया। उसने पुलिस से कहा कि उसने ही शिकायत की है और उसके ही पक्ष को आप पकड़ रहे हैं। अहिबरन व उनके लड़के भाग गए थे, इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ न सकी। पुलिस वाले मौहरपाल को पकड़कर सीधा थाने ले गए"

न्यायालय द्वारा भी इस साक्षी से प्रश्न पूंछे गये हैं। साक्षी पी0डब्लू0 06 ने न्यायालय द्वारा कारित की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''मौहरपाल को पुलिस दिन के करीब 02:00 बजे पकड़कर थाने में ले गयी थी। पुलिस ने मौहरपाल को उसके सामने पकड़ा था। वह, अतिवीर व सुनील तीनों

लोग मोटरसाइकिल पर शाम करीब 6–6.30 बजे थाना जैथरा मौहरपाल को थाने पर खाना देने गये थे, तब बरामदे में मोहरपाल को लटकाकर पुलिस वाले मनीष, महावीर, श्योदान और गजराज डण्डा से मोहरपाल को मार रहे थे। मिढाई लाल ड्राईवर भी वहाँ खड़ा था। मोहरपाल चिल्ला रहा था। उसने पुलिस वालों से मोहरपाल को छोड़ने को कहा, तो नहीं छोडा। मारना पीटना जारी रखा और मोहरपाल को खाना खिलाने नहीं दिया और गाली गलौज देकर उन्हें थाने से भगा दिया। फिर वे लोग घर पर लौट आये थे। अगले दिन सुबह करीब 7–8 बजे अतिवीर खाना लेकर थाना जैथरा गया था, उसने भी लौट कर बताया कि मोहरपाल को मार पीट रहे हैं। उसने बिजेन्द्र सिंह चेयरमैन को मोहरपाल के साथ मारपीट होने के सम्बन्ध में बतलाया, उन्होंने कहा था कि तुम लोग घर जाओ, वह देख लेगा। वह फिर दिनांक 27.08.2005 को रात करीब 11–11.30 बजे थाने पहुँचा, तो पुलिस वाले मोहरपाल को प्राईवेट गाड़ी से ले जा रहे थे। उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर पुलिस वाले गाड़ी लेकर अलीगंज की तरफ चले गये थे। उसने पुलिस की गाड़ी का पीछा नहीं किया था। फिर बाद में मोहरपाल का शव मिला था, काली नदी में मिला था। उसने मोहरपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पर देखा था।''

इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा मृतक मौहरपाल को कस्टडी में ले जाने, थाने के भीतर अभियुक्तों द्वारा बेरहमी से पीटने और रात में प्राइवेट वाहन से शव को गायब करने के संबंध में साक्षी पी0डब्लू0 06 की साक्ष्य सुसंगत एवं विश्वसनीय है।

उल्लेखनीय है कि साक्षी पी0डब्लू0 1, साक्षी पी0डब्लू0 2 एवं साक्षी पी0डब्लू0 3 यद्यपि पक्षद्रोही हो गये है तब भी पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त समस्त के द्वारा साक्षी पी0डब्लू0 6 कुलदीप का थाने पर जाना और उसके द्वारा पुलिस वालों द्वारा मौहरपाल से मारपीट किये जाने की प्रथम दृष्ट्या पुष्टि होती है।

इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0 4 एवं साक्षी पी0डब्लू0 5 गुड्डी द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान व जिरह से साक्षी पी0डब्लू0 6 कुलदीप का थाने जाना और उसके द्वारा पुलिस वालों द्वारा मौहरपाल से मारपीट किये जाने की प्रथम दृष्ट्या पुष्टि होती है।

विधि व्यवस्था **महावीर सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा (2014) 6 एस0सी0सी0 716** में माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि साक्षी से उसके दिये गये बयानों के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रश्न नहीं पूंछे गये है जिसका कि साक्षी के द्वारा स्पष्ट जवाब दिया जा सकता था तब ऐसी दशा में बचाव पक्ष यह आधार नहीं ले सकता कि साक्षी के द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। साक्षी पी0डब्लू0 6 कुलदीप के सम्पूर्ण बयान एंव जिरह से स्पष्ट है कि बचाव पक्ष द्वारा जिरह में साक्षी द्वारा न्यायालय में दिये गये इस आशय के बयान कि दिनांक 26.08.2005 को थाना जैथरा के पुलिस वालें दोपहर लगभग ढाई बजे मौहरपाल को थाने ले गये और जब साक्षी थाने पर खाना ले गया था तब उसने मौहरपाल को पुलिस वालों के द्वारा मारे पीटे जाते समय देखने का और रात में मौहर पाल की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर थाना पहॅुचने पर गाड़ी में उसके शव को डालकर ले जाते हुए देखा था।

36क. अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0 07 के रूप में साक्षी विजेन्द्र सिंह चौहान तत्कालीन चेयरमैन को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी

मुख्य परीक्षा में दिनांक 26.08.2005 को ग्राम बहगो में दो पक्षों में झगडा होने, अभियुक्तगण द्वारा मौहरपाल को पकडकर थाने लाने, लगातार मारपीट करने, दिनांक 27.08.2005 को पुलिस द्वारा की गयी मारपीट से 8—9 बजे मौहरपाल की मृत्यु पुलिस हिरासत में होने एवं इसकी सूचना ग्राम बहगो के प्रधान अहिबरन सिंह को फोन से देने का कथन किया है। यह भी कथन किया है कि वह सूचना पर थाना जैथरा गया था, तब तक मौहरपाल के शव को पुलिस वाले गायब करने के लिये ले गये और अगले दिन क्षेत्र की जनता द्वारा थाने का घेराव किया गया, तब रिपोर्ट दर्ज हुई।

30. साक्षी पी0डब्लू0 07 ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसके सामने पुलिस वाले मोहरपाल को पकड़कर नहीं लाये थे। मोहरपाल को उसने थाना जैथरा पर नहीं देखा था। घटना के दूसरे दिन वह थाना आया था। उसके साथ उसका ड्राइवर मानपाल, राघवेन्द्र थे, अन्य लोगों के नाम उसे याद नहीं। वह अपने मौहल्ले के लोगों के बताने पर थाना आया था। तब तक थाना पर उक्त मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। जितनी उसकी इस केस में भूमिका रही, उतनी उसे जानकारी है। आगे कथन किया है कि जैथरा में सीबीसीआईडी जो शायद आगरा के थे, उनके द्वारा मृतक मोहरपाल उर्फ पप्पू का पंचायतनामा और मेडिकल और विसरा के प्रपत्र विवेचक ने उनको नहीं दिखाये। मृतक मौहरपाल उर्फ पप्पू निवासी बहगो थाना जैथरा की उम्र कितनी है और कितनी लिखी गयी है, उसको जानकारी नहीं और न पंचायतनामा अंकित करते समय वह मौके पर था।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूँकि साक्षी ने स्वयं मौहरपाल को पकड़े जाते नहीं देखा, न ही उसे थाने के अंदर देखा और न ही वह शव बरामदगी या पंचायतनामे के समय मौके पर मौजूद था, इसलिए उसकी गवाही पूरी तरह अनुश्रुत एवं अप्रासंगिक है, जिससे अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता। यह सत्य है कि साक्षी पी0डब्लू0 7 तथाकथित मारपीट के समय एवं थाना जैथरा की पुलिस द्वारा मौहरपाल को थाने पर ले जाये जाते हुए नहीं देखा गया था और न ही मौहरपाल को थाने पर देखा गया था, परन्तु यदि इस साक्षी की साक्ष्य का विश्लेषण तथ्य के अन्य साक्षीगण के बयान के साथ अवलोकन एवं विश्लेषण किया जाये तब इस साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य घटनाक्रम की ऐसी सुसंगत कड़ी है, जो तथाकथित घटना की पुष्टि करती है।

31. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 09 दिनेश कुमार तत्कालीन सी0सी0** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 28.08.2005 को वह थाना अलीगंज पर बतौर सी.सी. तैनात था। श्रीमान क्षेत्राधिकारी, अलीगंज के मौखिक आदेश पर उसे थाना जैथरा पर बुलाया गया, क्योंकि थाना जैथरा के अन्दर हवालात में बंद व्यक्ति की हत्या हो जाने के कारण थाना जैथरा का फोर्स उपलब्ध नहीं था। क्षेत्राधिकारी के मौखिक आदेश पर वह थाना जैथरा पहुँचा और वहाँ पर वादी मुकदमा अतिवीर सिंह पुत्र राम सिंह निवासी बहगो थाना जैथरा एक हस्तलिखित तहरीर स्वयं की दस्तखती लेकर आया, जो अपने भाई मौहरपाल उर्फ पप्पू को थानाध्यक्ष जैथरा मय फोर्स गाँव वालों की मदद से गिरफ्तार कर थाने लाये और थाना परिसर में थानाध्यक्ष व फोर्स द्वारा पीट—पीटकर हत्या करने के सम्बन्ध में थी, नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दी। तहरीर के आधार पर उसके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 156 / 2005

धारा 342, 302, 201, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत नामित अभियुक्त मुन्नी देवी, अशोक सिंह, मनोज, भूरे, थानाध्यक्ष मनीष कुमार, सिपाही सौदान सिंह, सिपाही महावीर सिंह, एस0आई0 गजराज सिंह व गाड़ी के ड्राइवर के विरुद्ध मुकदमा कायम किया, जिसकी चिक रिपोर्ट उसके द्वारा अपने हस्तलेख में तहरीर के मुताबिक किता की, जो तहरीर के शब्दशः सही है। इस बात का प्रमाण–पत्र उसने चिक रिपोर्ट पर अंकित किया है। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 4अ/1 व 4अ/2 को देखकर कहा कि यह वही चिक रिपोर्ट है, जो उसने वादी की तहरीर के अनुसार किता की थी। इस पर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। मुकदमा कायमी का खुलासा जी.डी. रपट नम्बर 22 समय 12:10 दिनांक 28.8.2005 में किया है। जी. डी. उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में उसके द्वारा किता की गयी, जिसकी मूल प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भेजी गयी। अधिक समय होने के कारण विनिष्ट हो चुकी है, जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर कागज संख्या 87अ/1 है, जो मूल जी.डी. की छायाप्रति है, इसे देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की तथा छायाप्रति को अपने हस्ताक्षर से आज प्रमाणित किया गया है, इस पर **प्रदर्श क4** डाला गया। मुकदमा कायमी व घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को उचित माध्यम से दी गयी। एस.आर. रिपोर्ट उचित माध्यम से भेजी गयी। न्यायालय में चिक रिपोर्ट व तहरीर उचित माध्यम से भेजी गयी। घटना थाना हाजा के अन्दर होने के कारण विवेचक उच्चाधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चिक रिपोर्ट पर तत्कालीन थानाध्यक्ष वी.पी. सिंह के हस्ताक्षर उसके द्वारा कराये गये, जिसकी पुष्टि व साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की।

32. साक्षी पी0डब्लू0 09 ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि सी0ओ0 अलीगंज के निर्देशानुसार उसने अभियोग पंजीकृत किया था। उस समय वह थाना अलीगंज जनपद एटा में तैनात था। रिपोर्ट लिखाने वादी के साथ काफी क्षेत्रीय लोग थे, जिनके नाम याद नहीं हैं। एफ0आई0आर0 के समय एस0आई0 गजराज सिंह थाने पर उपस्थित नहीं थे। तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी थी। घटना का दिनांक समय जी.डी. में अंकित किया था, जी.डी. उसकी लिखी व हस्ताक्षरित है।

साक्षी पी0डब्लू0 09 द्वारा इस मामले की चिक किता की गयी और उसका खुलासा कायमी जी0डी0 में किया गया तथा उन्हें न्यायालय में साबित भी किया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्राधिकारी, अलीगंज के मौखिक आदेश पर उसे थाना जैथरा पर बुलाया गया, क्योंकि थाना जैथरा के अन्दर हवालात में बंद व्यक्ति की हत्या हो जाने के कारण थाना जैथरा का फोर्स उपलब्ध नहीं था।

इस साक्षी के द्वारा दिये गये बयान से प्रथम दृष्ट्या इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जब वह क्षेत्राधिकारी अलीगंज के मौखिक आदेश पर थाना जैथरा पहॅुचा तो वहां पर थाना जैथरा का फोर्स वहां मौजूद नहीं था और इस तथ्य की प्रथम दृष्ट्या पुष्टि होती है कि थाना जैथरा के अन्दर हवालात में बन्द व्यक्ति की सूचना उसे प्राप्त हुई थी जिसका उल्लेख उसके द्वारा कायमी जी0डी0 में किया गया था।

33. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 11 सेवानिवृत्त निरीक्षक विनयशंकर बाजपेयी** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि वह वर्ष 2013 में अपराध शाखा अनुसन्धान विभाग खण्ड कानपुर में बतौर

निरीक्षक के पद पर तैनात था। दिनांक 10.02.2013 को उसे मुकदमा अपराध संख्या–156 / 2005 धारा 342,302,201,504,506 भा0दं0वि0 थाना जैथरा जिला एटा की विवेचना प्राप्त हुयी, जो अपराध शाखा अपराध अनुसन्धान विभाग खण्ड आगरा से पूर्ण की जा चुकी थी। मात्र अभियोजन स्वीकृति का कार्य शेष था। उसके द्वारा सीडी पर्चा नम्बर–4 दिनांक 10.02.2013 को किता किया गया, जिसमें विवेचना ग्रहण करने का जिक्र है। दिनांक 16.02.2013 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–5 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा किता सी0डी0 के पर्चा नम्बर–1 से सीडी नम्बर–19 तक का परीक्षण किया गया। दिनांक 23. 03.2013 को सीडी पर्चा नम्बर–6 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें उसने ग्राम बहगों थाना जैथरा आकर वादी मुकदमा श्री अतिवीर सिंह, चश्मदीद साक्षी अहिबरन सिंह, श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी मौहरपाल सिंह, सुनील कुमार पुत्र मौहरपाल सिंह, कुलदीप व प्रदीप पुत्रगण रामगोपाल, सत्यवीर सिंह पुत्र अहिबरन सिंह के बयान अंकित किये, जिन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया। अतिवीर की निशानदेही पर ग्राम बहगों थाना जैथरा का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जहाँ से पुलिस द्वारा दिनांक 26.08.2005 को मृतक मौहरपाल को ले जाना बताया। उसके बाद वादी मुकदमा को हमराह लेकर थाना जैथरा के घटनास्थल हवालात व बाहर गैलरी जहाँ पर मौहरपाल सिंह को रस्सी से बाँध कर लटकाकर मारपीट की गयी, जिसके कारण उसकी हत्या अगले दिन दिनांक 27.08.2005 को हुयी थी। दिनांक 24.03.2013 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–7 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें डाक्टर पी०के० गुप्ता, जिनके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया था व नायब तहसीलदार अहिबरन सिंह, जिनके द्वारा पंचायतनामा भरा गया था, के बयान अंकित किये गये। उसके बाद ग्राम बहगों आकर मु0अ0सं0 153 / 2005, धारा 147,148,149,307,504 भा0दं0वि0 के वादी भूरे सिंह से पूँछताछ की गयी। थाना जैथरा पर उस समय नियुक्त उपनिरीक्षक बुद्धिचन्द्र गौतम द्वारा इस विवेचना में पर्चा नम्बर–3 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मौहरपाल सिंह की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो चुकी है। इस बात का उसने उल्लेख किया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी किशनपाल ग्राम बहगों के द्वारा परिवार रजिस्टर का विवरण देखने पर मकान नम्बर–106 में दर्ज प्रविष्टि में मौहरपाल सिंह की मृत्यु दिनांक 27.08.2005 को होना दर्शायी गयी है, जिसकी नकल केस डायरी के साथ संलग्न है। दिनांक 25.03.2013 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–8 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें जैथरा कस्बे में जाकर साक्षी विजेन्द्र सिंह चौहान पूर्व चेयरमैन, थाने पर घटना के समय तैनात होमगार्ड सर्वेश कुमार, जहाँन सिंह, रनवीर सिंह व सुरेन्द्र सिंह के बयान अंकित किये। दिनांक 27.03.2013 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–9 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें पूर्व विवेचक लक्ष्मीचन्द्र का बयान अंकित किया गया। दिनांक 16.04.2013 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–10 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें नामित अभियुक्तगण श्रीमती मुन्नी देवी, अशोक, भूरे, महावीर सिंह व मनीष यादव के बयान अंकित किये गये। दिनांक 17.04.2013 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–11 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें अभियुक्त गजराज सिंह का बयान अंकित किया गया। दिनांक 23.05.2013 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–12 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें पंचायतनामा के गवाह रामप्रताप व रामबाबू के बयान नगला परम में जाकर दर्ज किये। दिनांक 31.05.2013 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–13 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह विवेचक

स्थानीय पुलिस का बयान अंकित किया। दिनांक 03.06.2013 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–14 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें हेड कॉस्टेबल रामकुमार यादव व राम भरोसे वर्मा का बयान अंकित किया गया। दिनांक 16.06.2013 को सीडी पर्चा नम्बर–15 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें पूर्व विवेचक बुद्धिचन्द्र गौतम का बयान अंकित किया गया, जिसने मुकदमा अपराध संख्या–153/2005 धारा 147,148,149,307,504,506 भा0दं0वि0 थाना जैथरा की विवेचना की है और अपने पर्चा नम्बर–3 में अंकित किया है कि मौहरपाल मृतक की मृत्यु पुलिस हिरासत में थाना जैथरा में हुयी। दिनांक 18.06.2013 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–16 किता किया गया, जिसमें विवेचना में अभियुक्त मनीष यादव, गजराज सिंह, रामकुमार, महावीर व मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल के विरुद्ध 342,302,201,504,506 का अपराध प्रमाणित होना पाया गया और उक्त अभियुक्तगण सरकारी कर्मचारी थे, इसलिये न्यायालय में वाद चलाये जाने हेतु धारा 197(2) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना व अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने की विधिक औपचारिकताएं पूर्ण की जाने का जिक्र है। उसके बाद अग्रिम विवेचना उसके सेवानिवृत्त होने के कारण दूसरे विवेचक के पास स्थानन्तरित कर दी गयी।

34. साक्षी पी0डब्लू0 11 ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उक्त मुकदमे के अलावा धारा 147,148,149,307 भा0दं0वि0 इन्हीं अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना पर पंजीकृत हुआ है कि नहीं, इस बात की उसे जानकारी नहीं है और विवेचना भी उसके द्वारा नहीं की गयी। घटनास्थल मौहरपाल के घर के सामने बताया है, जहाँ से पुलिस पार्टी मौहरपाल को गिरफ्तार करके लायी। हवालात एवं गैलरी दोनों घटनास्थल हैं, जहाँ पर मौहरपाल की पीट–पीट कर हत्या कर दी गयी। मृतक की लाश नगला परम के पास काली नदी से बरामद हुयी। लाश सड़ी गली अवस्था में थी। मृतक की उम्र डाक्टर ने अपने बयान में 12 से 18 वर्ष के बीच होना बतायी है। मृतक के परिवारीजनों ने मृतक की आयु करीब 30 वर्ष होना बतायी है। मृतक के परिवारीजनों ने मृतक के 05 बच्चे होना बतायें हैं। उसने अभियुक्त गजराज का बयान लिया था। घटना के समय प्रधानी का चुनाव चल रहा था और गजराज ने चुनाव के दौरान अपनी ड्यूटी होना बताया था। मृतक मौहरपाल को दिनांक 26.08.2005 को पुलिस गिरफ्तार कर ले गयी थी और दिनांक 27.08.2005 को उसकी मृत्यु थाने पर हो गयी थी। गजराज ने उसे अपनी थाने में आमद होने के बारे में कोई बात नहीं बतायी थी। यह कहना सही है कि बरामद शव मौहरपाल का नहीं था, क्योकि उम्र के अनुसार अन्तर है। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा सही विवेचना न की गयी हो। उसे विवचना आगरा खण्ड से विवेचक भगवान सिंह से स्थानान्तरित कर प्राप्त हुयी थी। ये बात सही है कि पत्र संख्या सीबी–125/11 दिनांकित 02.06. 2011 अधीनस्थ न्यायालय से प्रतियाँ प्राप्त हुयी थी, जो जनपद आगरा प्रपत्र है। उसके द्वारा उक्त पत्र सीबी नम्बर–188/12 दिनांक 10.02.2013 को प्राप्त हुआ था। पर्चा नम्बर–1 में अभियुक्तगण 01 लगायत 09 का इन्द्राज है। यह कहना गलत है कि पुलिस कर्मियों के विरुद्ध गलत तरीके से विवेचना की हो।

साक्षी पी0डब्लू0 11 इस मामले का विवेचक है। इस साक्षी द्वारा अपनी विवेचना में अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त आरोपित अपराध प्रमाणित होना पाया जाना बताया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उसने दिनांक 16.06.2013 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–15 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें पूर्व विवेचक बुद्धिचन्द्र गौतम का

बयान अंकित किया गया, जिसने मु0अ0सं0 153/2005 धारा 147,148,149,307, 504,506 भा0दं0सं0, थाना जैथरा की विवेचना की है और अपने पर्चा नम्बर–03 में अंकित किया है कि मौहरपाल मृतक की मृत्यु पुलिस हिरासत में थाना जैथरा में हुई है। साक्षी पी0डब्लू0 11 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में भी इसी आशय का कथन किया गया है कि हवालात एवं गैलरी दोनों घटनास्थल हैं, जहाँ पर मौहरपाल की पीट–पीट कर हत्या कर दी गयी। मृतक की लाश नगला परम के पास काली नदी से बरामद हुयी। लाश सड़ी गली अवस्था में थी। मृतक मौहरपाल को दिनांक 26.08.2005 को पुलिस गिरफ्तार कर ले गयी थी और दिनांक 27.08.2005 को उसकी मृत्यु थाने पर हो गयी थी।

35. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 12 सेवानिवृत्त निरीक्षक प्रवेशचन्द्र चतुर्वेदी** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि वह वर्ष 2014 में अपराध शाखा अपराध अनुसन्धान विभाग खण्ड कानपुर में बतौर निरीक्षक के पद पर तैनात था। दिनांक 26.04.2014 को उसे मु0अ0सं0 156/2005, धारा 342,302,201,504,506 भा0दं0वि0 थाना जैथरा जिला एटा की विवेचना प्राप्त हुई। उसी दिन उसने सी0डी0 पर्चा नं0–17 किता किया, जिसमें विवेचना ग्रहण करने का उल्लेख है। दिनांक 14.07.2014 को उसने सी0डी0 पर्चा नम्बर–18 किता किया, जिसमें शासन से अभियुक्त मनीष यादव, गजराज सिंह, महावीर सिंह, मिढ़ई लाल उर्फ मिढ़ई लाल के विरुद्ध मु0अ0सं0 156/2005 धारा 342,302,201,504,506 भा0दं0वि0 थाना जैथरा जिला एटा में सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाये जाने हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त हुयी तथा हेड कॉस्टेबल रामकुमार के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं हुयी। इस संबंध में मुख्यालय से शासन को पत्राचार किये जाने का जिक्र है। दिनांक 16.07.2014 को उसने सी0डी0 पर्चा नम्बर–19 किता किया, जिसमें अभियुक्तगण मनीष यादव, गजराज सिंह, महावीर सिंह, मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाई लाल के विरुद्ध 41(झ) सीआर0पी0सी0 के अन्तर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र भेजे जाने का जिक्र है। दिनांक 29.09.2014 को सी0डी0 पर्चा नम्बर–26 किता किया, जिसमें सी0जे0एम0, एटा से अभियुक्तगण मनीष यादव, गजराज सिंह, महावीर सिंह, मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल न्यायालय उपस्थित होने पर गिरफ्तारी वारण्ट व धारा 82 सीआर0पी0सी0 के लिये न्यायालय से अनुरोध किया। दिनांक 10.12.2014 को उसने सी0डी0 पर्चा नम्बर 34 किता किया, जिसमें न्यायालय से अभियुक्तगण गजराज व मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल के विरुद्ध 82 सीआर0पी0सी0 की कार्यवाही प्राप्त हुयी तथा अभियुक्तगण मनीष यादव, रामकुमार व महावीर के विरुद्ध गैर–जमानती वारण्ट प्राप्त हुये। दिनांक 18.12.2014 को उसने सी0डी0 पर्चा नम्बर–37 किता किया, जिसमें अभियुक्त मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल व गजराज के विरुद्ध 82 सीआर0पी0सी0 की कार्यवाही तामील करायी गयी। मनीष यादव का गैर जमानती वारण्ट जिला फर्रूखाबाद में तामील हेतु जमा किया गया। दिनांक 01.01.2015 को उसने सी0डी0 पर्चा नम्बर–41ए किता किया, जिसमें अभियुक्त रामकुमार के विरुद्ध अभियोग में शामिल होने का कोई आधार नहीं है, इसलिये मुख्यालय के निर्देशानुसार अभियुक्त रामकुमार के विरुद्ध सफल अभियोजन सम्भव नहीं है। दिनांक 16.02.2015 को उसने सी0डी0 पर्चा नम्बर–49 किता किया, जिसमें अभियुक्त महावीर व मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल को न्यायालय द्वारा अन्तरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया तथा अभियुक्तगण महावीर व मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल के विरुद्ध मुकदमा अपराध

संख्या–156/2005 धारा 342,302,201,504,506 भा0दं0वि0 का आरोप साबित होने पर आरोप–पत्र संख्या–03/2015 दिनांक 16.02.2015 उसके द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया गया, जो पत्रावली में कागज संख्या–3अ/3 व 3अ/4 है, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श–क–9** डाला गया। दिनांक 18.02.2015 को उसने एस0सी0डी0 पर्चा नम्बर–1 किता किया, जिसमें अभियुक्त मनीष यादव ने न्यायालय में समर्पण कर अन्तरिम जमानत प्राप्त की। दिनांक 23.02.2015 को उसने एस0सी0डी0 पर्चा नम्बर–11 किता किया, जिसमें अभियुक्त मनीष यादव के विरुद्ध अपराध संख्या 156/2005, धारा 342,302,201,504,506 भा0दं0वि0 का आरोप साबित होने पर आरोप पत्र संख्या–03ए/2015 दिनांक 23.02.2015 उसके द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया गया जो पत्रावली में कागज संख्या–3अ/1 व 3अ/2 है, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की, इस पर **प्रदर्श–क–10** डाला गया। दिनांक 13.03.2015 को एससीडी पर्चा नम्बर–तीन किता किया, जिसमें अभियुक्त गजराज के विरुद्ध 82 सीआर0पी0सी0 तामील होने पर अभियुक्त द्वारा न्यायालय समर्पण न करने पर अभियुक्त गजराज के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाने पर अपराध संख्या–156/2005 धारा 342,302,201,504,506 भा0दं0वि0 का आरोप साबित होने पर आरोप–पत्र संख्या–03बी/2015 दिनांक 13.03.2015 उसके द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया गया, जो पत्रावली में कागज संख्या–3अ/5 व 3अ/6 है, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श–क–11** डाला गया।

36. साक्षी पी0डब्लू0 12 ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसने इस केस की विवेचना पर्चा नम्बर–17 के अनुवर्ती कार्यवाही हेतु ग्रहण की थी, जो सीबी नम्बर–188/12 सीबीसीआईडी कानपुर सेक्टर से प्राप्त हुयी थी। मौहरपाल की उम्र के बारे में वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसे विवेचना अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु मिली थी। वह अपने साथ अपने काटे हुये पर्चे न्यायालय लेकर आया था। ये वह नहीं बता सकता कि कोर्ट ने पर्चों का अवलोकन किया था अथवा नहीं। उपरोक्त पत्रावली में सूची गवाहन 01 लगायत 31 आरोप–पत्र में अंकित है। उसके पास विवेचना अभियोजन स्वीकृति के स्तर पर आयी थी, इसलिये उसने घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस कर्मियों के विरुद्ध गलत आरोप पत्र प्रेषित किया। यह कहना गलत है कि तथा–कथित घटना घटित न हुयी हो और उसने मनगढंत तथ्यों पर आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया हो। यह कहना भी गलत है कि मौहर पाल की पुलिस द्वारा मारपीट न की गयी हो और न ही उसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हुयी हो। यह कहना सच है कि मृतक मौहरपाल का शव आज तक बरामद नहीं हुआ है। जो शव बरामद हुआ था, मृतक मौहरपाल का नहीं था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त गजराज का इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है।

साक्षी पी0डब्लू0 12 मामले के अंतिम विवेचक हैं, जिनके द्वारा विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू० 12 की साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि अभियुक्तगण लगातार विवेचना से बचते रहे।

बचाव पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 12 से पर्याप्त जिरह की गयी है, किंतु कोई भी महत्वपूर्ण विरोधाभास इस साक्षी की साक्ष्य में नहीं आया

है, जिससे इस साक्षी की साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती हो अथवा बचाव पक्ष के तर्कों को कोई बल मिलता हो अथवा जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता हो।

37. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 13 सेवानिवृत्त निरीक्षक सीबीसीआईडी भगवान सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह उक्त पद पर दिनांक 04.05.2011 को आगरा खण्ड में तैनात था। उसी दिन उसने सी0डी0 पर्चा नंबर 01 किता किया, जिसमें दिनांक 25.04. 2011 को खण्डाधिकारी आगरा खण्ड के पत्र दिनांकित 02.05.2011 के अनुपालन में उपयुक्त विवेचना उसने ग्रहण की। दिनांक 02.06.2011 को सी0डी0 पर्चा नंबर 02 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें थाना जैथरा जनपद एटा से एफआईआर, नकल रपट प्राप्त कर उसका अंकन किया तथा सीजेएम, एटा के न्यायालय में विवेचना संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र दिया। दिनांक 06.06.2011 को सी0डी0 पर्चा नंबर 03 किता किया, जिसमें पूर्व विवेचकों द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन कर अंकन किया। दिनांक 18.06.2011 को सी0डी0 पर्चा नंबर 04 किता किया, जिसमें उसने घटनास्थल गांव बहगो में जाकर गवाह अतिवीर सिंह, एवरन सिंह, सुनील, कुलदीप सिंह, प्रदीप, शंकर लाल, जयपाल, नाथूराम, राकेश, सत्यवीर, रामप्रकाश के बयान अंकित किये तथा अतिवीर सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल पर निरीक्षण कर अपने लेख व हस्ताक्षर में नक्शा–नजरी तैयार की तथा साक्षी अतिवीर सिंह को साथ लेकर थाना जैथरा, जहां पर मृतक मौहरपाल हवालात मे बंद था, थाना का भी नक्शा–नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या 06अ/3 नक्शा घटनास्थल तथा 06अ/04 नक्शा थाना परिसर को देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की, इन पर क्रमशः **प्रदर्श–क–12 व प्रदर्श–क–13** डाला गया। प्रदर्श–क–12 व प्रदर्श–क–13 के समान ही क्रमशः कागज संख्या 06अ/02, 06अ/05 व 06अ/01, 06अ/04 है, जो एक ही जगह के हैं, जिनकी वह तस्दीक करता है। दिनांक 19.06.2011 को सीडी पर्चा नंबर 05 किता किया, जिसमें घटना के संबंध में शपथपत्र देने वाले शपथकर्ताओं से संपर्क कर उनके बयान अंकित किये तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचनामा का अवलोकन कर नकल की गयी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पी. के. गुप्ता का बयान अंकित किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट का अंकन किया। उसके पश्चात वह सेवानिवृत्त हो गया और विवेचना उसके यहां से स्थानांतरित हो गयी।

38. साक्षी पी0डब्लू0 13 ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि 2011 में वह सीबीसीआईडी आगरा में पोस्टेड था। दिनांक 31.08.2011 को वह सेवानिवृत्त हुआ। पत्र संख्या सी.बी. 125/2011 दिनांक 02.06.2011 को अधीनस्थ अवर न्यायालय फोटो प्रतियां प्राप्त हुई। संलग्न पत्रावली 21अ परिवार रजिस्टर ग्राम बहगों थाना जैथरा जनपद एटा, जिसमें मृतक मोहरपाल की मृत्यु दिनांक 27.08.2005 संलग्न पत्रावली है। उक्त पत्रावली में मृतक मोहरपाल एम.एल.सी. 89/2006/394 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा एवं एस.एस.पी. एटा को सूचनार्थ संलग्न पत्रावली, जिसमें मृतक मोहरपाल की उम्र 18 वर्ष है, जो डॉक्टर यतेन्द्र कुमार पाठक वरिष्ठ विशेषज्ञ लखनऊ पत्रावली दिनांकित 30.11.2006/01.12. 2006 संलग्न पत्रावली है। एफ.आई.आर के बाद एफ.आर. नंबर 09/06 दिनांक 24.02.2006 अंकित मृतक मोहरपाल उम्र 12 से 18 वर्ष अंकित है। परिवार

रजिस्टर में मृतक मोहरपाल की पत्नी गुड्डू, पुत्री मीना, पुत्र सुनील, पुत्री बीना व पुत्री गीता व पुत्र सुशील संलग्न पत्रावली है। पर्चा नंबर 01 से 05 तक अंकित है, जिसकी विवेचना की। मृतक मोहरपाल की उसके द्वारा परिवार रजिस्टर व एफ.आर. व विशेषज्ञ लखनऊ से पूछताछ नहीं की थी और न ग्राम बहगों मृतक मोहरपाल का अवलोकन नहीं किया था। वह सेवानिवृत्त बाद उसे जानकारी नहीं है और न उसे विवेचना स्नानांतरण की जानकारी है। इस समय आरोप–पत्र 03/15 व 03ए/15 व 03बी/15 की भी जानकारी नहीं है और न सूची गवाहन की, कितने इन्द्राज है, उसकी भी उसको जानकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा सम्मन प्राप्त होने पर अपना साक्ष्य दे रहा है। इससे आगे की उसे कोई जानकारी नहीं है।

साक्षी पी0डब्लू0 13 भी इस मामले के विवेचक रहे हैं और औपचारिक साक्षी हैं, जिनके द्वारा घटनास्थल, जहॉ मृतक मौहरपाल हवालात में बंद था, के नक्शा–नजरी प्रदर्श क–12 व प्रदर्श क–13 तैयार किये गये हैं। बचाव पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 13 से पर्याप्त जिरह की गयी है, किंतु कोई भी महत्वपूर्ण विरोधाभास इस साक्षी की साक्ष्य में नहीं आया है, जिससे इस साक्षी की साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती हो अथवा बचाव पक्ष के तर्कों को कोई बल मिलता हो अथवा जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता हो। विधि व्यवस्था **प्रमोद कुमार एवं स्टेट ऑफ दिल्ली ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 3344** एवं **गोविन्द राजू उर्फ गोविन्दा बनाम स्टेट आफ श्री रामापुरम ए0आई0आर 2012 एस0सी0 1292** में व अन्य विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि पुलिस कर्मियों की साक्ष्य का मूल्यांकन भी साक्ष्य विधि के सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना न्यायोचित है। यह भी अवधारित किया गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पदेन् दायित्वों के अधीन व अपने कर्तव्यों के अधीन की जाती है और जब ऐसी साक्ष्य की पुष्टि अन्य साक्ष्य से होती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती।

39. **अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 10 अहिबरन सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 30.08.2005 को वह तहसील अलीगंज पर बतौर नायब तहसीलदार तैनात था। उसी दिन एस0डी0एम0 के आदेश पर वह नगला परम के पास काली नदी के किनारे जंगल पर पहुंचा। वहां पर उपजिलाधिकारी अलीगंज, सीओ पुलिस अलीगंज व थानाध्यक्ष जैथरा मय पुलिस बल उपस्थित मिले। वहां पर मृतक मौहरपाल उर्फ पप्पू पुत्र श्री रायसिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बहगो, थाना जैथरा एटा की लाश नदी के किनारे पर रखी हुयी है। लाश के पास परिवारीजन व अन्य रिश्तेदार नगला परम की भीड़ एकत्रित थी। चूंकि मृतक का संबंध मुकदमा अ०सं० 156/2005 धारा 302,342,201,504,506 भा0दं0वि0 थाना जैथरा जिला एटा से है। मृतक को उसके परिवार द्वारा पहचाना गया है। उसने उपजिलाधिकारी अलीगंज के आदेश पर पंचायतनामे की कार्यवाही प्रारम्भ की। मौजूदगी में से अतिवीर सिंह, प्रदीप, सत्यवीर सिंह, रामप्रताप व रामबाबू को गवाह पंचान नियुक्त किया। गवाह पंचान की सहमति से पंचायतनामे की कार्यवाही उसके द्वारा बोलने पर उपनिरीक्षक करतार सिंह द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी। गवाह पंचान की सहमति से स्थिति, चोटे, कपडे शव अंकित किये ये। गवाह पंचान ने आपसी सहमति से अपने हस्तलेख मे

अपनी राय अंकित की। गवाह पंचान द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने की राय व्यक्त की। उसकी राय भी गवाह पंचान की राय से मेल खाती थी, इसलिये शव का पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु एक कपड़े में सील किया गया। आवश्यक दस्तावेज तैयार किये गये। पंचायतनामें मय आवश्यक दस्तावेज के साथ शव को सीलबन्द हालत में पुलिस कर्मचारियों को सुपुर्द कर आरक्षी महेश चन्द्र के हस्ताक्षर कराये गये। पंचायतनामा पत्रावली में संलग्न कागज सं0 11अ/3 व 11 अ/4 देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस प्रदर्श–क–5 डाला गया। पंचायतनामे के साथ साथ चिट्ठी सी0एम0ओ0, चालान नाश व फोटो नाश तैयार किये गये, जो उसके हस्ताक्षर में हैं। पत्रावली में सलंग्न कागज सं0 11अ/5, 11अ/2 व 11अ/6 है। इन पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। इन पर क्रमशः प्रदर्श–क–6, प्रदर्श–क–7, प्रदर्श–क–8 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। उक्त सभी बातें उसने विवेचक को बतायी थी।

40. **साक्षी पी0डब्लू0 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि वर्ष 2005 में अलीगंज में वह नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। उसे ध्यान नहीं है कि अलीगंज में वह कितने दिन रहा। दिनांक 30.08.2005 को पंचायतनामा भरा था। पंचायतनामें में हस्तलेख उपनिरीक्षक करतार सिंह का है। थाना जैथरा का अपराध संख्या 156/2005 धारा 342,302,201,506,504 भा0दं0वि0 उसके हस्तलेख में नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों को वह नहीं जानता है। सलंग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल रपट सं0 22 समय 12 बजकर 10 मिनट पर दिनांक 28.08.2005 को वादी अतिवीर सिंह को उसने नहीं देखा था। हमराही इन्द्राजों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पंचायतनामा भरते समय मृतक मौहरपाल उर्फ पप्पू को उसने नहीं पहचाना था। उनके घर वालों ने बताये अनुसार पंचायतनामा भरा था। नगला परम से थाना जैथरा की दूरी उसे नहीं मालूम। काली नदी पर शव के पड़े होने की सूचना उसे उपजिलाधिकारी ने दी थी। उसे जानकारी नहीं है कि उपजिलाधिकारी को कैंसे सूचना मिली। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष मृतक के घर वालों ने बतायी थी। शव सड़ा व गला हुआ था। उसे नहीं पता कि शव को जल में रहने वाले जन्तुओं व वन्य जीवों द्वारा खा लिया गया था या नहीं। शव पर कपड़े थे, कपड़ो के द्वारा ही उसके परिवारीजन ने शव की पहचान की थी। उसे जानकारी नहीं है कि कपड़े फटे हुये थे। उसे ध्यान नहीं है कि शव पर कपड़े लिपटे हुये थे या नहीं। शव चित पड़ा हुआ था या पट पड़ा हुआ था, उसे इस समय ध्यान नहीं है। सिर और पैर किस दिशा में थे, इस समय जानकारी नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि शव सिर्फ कंकाल मात्र था या नहीं। गवाह पंचान ने मृतक की हत्या चोटों से होना बताया था और पोस्टमार्टम की राय व्यक्त की थी। उसकी राय उनकी राय से मेल खाती थी। चोटें शव पर दिखाई दे रही थी या नहीं, उसे इस समय ध्यान नहीं है। शव उसकी निगरानी में सील हुआ था। सील करने के लिये कपड़ा पुलिस वाले लाये थे।

साक्षी पी0डब्लू0 10 द्वारा एस0डी0एम0 के आदेशानुसार बरामदशुदा शव का पंचायतनामा तैयार कर आवश्यक प्रपत्र चिट्ठी सी0एम0ओ0, चालान नाश व फोटो नाश तैयार किये गये और उन्हें न्यायालय में साबित भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के बयान से कंकाल की बरामदगी की पुष्टि होती है।

बचाव पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 09 से पर्याप्त जिरह की गयी है, किंतु कोई भी महत्वपूर्ण विरोधाभास इस साक्षी की साक्ष्य में नहीं आया है, जिससे इस साक्षी की साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती हो अथवा बचाव पक्ष के तर्कों को कोई बल मिलता हो अथवा जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता हो।

41. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 08 डॉ0 प्रदीप कुमार गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 31.08.2005 को जिला चिकित्सालय एटा में तैनात था। उस दिन उसने समय 03:45 ए0एम0 पर मृतक मौहरपाल उर्फ पप्पू उम्र 30 वर्ष पुत्र रामसिंह निवासी बहगों थाना जैथरा के शव का डी0एम0, एटा तथा सी0एम0ओ0 के आदेशानुसार, शव का अन्तः परीक्षण किया, जिसको सी0पी0–710 महेश चन्द्र तथा सी0पी0–995 महेश थाना जैथरा से सील्ड अवस्था में 7+1 पुलिस पेपर्स के साथ लेकर आये थे। शव की शिनाख्त साथ आये पुलिस कर्मियों ने की थी। शव का विच्छेदन कृत्रिम रोशनी में किया गया था। मृतक साधारण कद काठी का था। शव की आँखें अन्दर धंसी हुयी थी। शव पूरा डिकम्पोजीशन की स्थिति में था। सिर्फ कंकाल बचा हुआ था। उसके साथ डिकम्पोज्ड सीधा फेफड़ा, लीवर व पित्त की थैली, अमाशय, आंतो के गुच्छे तथा लिंग तथा स्क्रोटम (डिकम्पोज्ड), मृतक का ह्रदय भी डिकम्पोज्ड था। दिमाग द्रवित हो गया था। पुल्टेशियस मास मौजूद था, क्योंकि मृत्यु का कारण नहीं मालूम किया जा सकता था। अतः विसरा को संरक्षित किया गया तथा उम्र की जानकारी के लिये हड्डिया संरक्षित की गयी। जो विसरा संरक्षित किये गये, क्रमशः

'जार A' – आमाशय तथा उसके कन्टेन्ट्स
'जार B' – लीवर, गाल ब्लेडर तथा छोटी आंत का एक लूप
'जार C' – नमक का घोल (प्रिसरवेटिव)

हड्डियाँ जो संरक्षित की गयी–मेंडेबिल, बायीं फीमर, बायीं ह्यूमरस तथा पेलविस बोन, मृतक के मुँह में 14/7 दांत थे। उसकी राय में मृतक की मृत्यु लगभग एक सप्ताह पूर्व (पोस्टमार्टम करने से) हुयी होगी, क्योंकि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, इसलिये विसरा संरक्षित कराया गया।

मृतक के शव पर शर्ट–1, अंडरवियर–1, गले में ताबीज–1, गले में काला धागा–1 एक पायजामा का टुकड़ा–कुल अदद–5 पाये गये, जिन्हे एक कपड़े में सील किया गया। उक्त पोस्टमार्टम की कार्यवाही जिलाधिकारी के आदेशानुसार दो डाक्टरों के पैनल द्वारा की गयी, जिसमें उसके साथ डॉ0 बी0पी0 बंसल भी थे। उक्त पोस्टमार्टम को उन दोनों ने एक राय से किया था जिसे उसके हस्तलेख में तैयार किया गया था, जिस पर उसने व डॉ0 बी0पी0 बंसल ने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं०–12अ/1 देखकर कहा कि यह रिपोर्ट उसके हस्तलेख में उसके व डॉ0 बी0पी0 बंसल के हस्ताक्षर हैं। इस पर प्रदर्श–क–02 डाला गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को सील कर शव पर पाये कपड़ों व वस्तुओं के साथ, साथ आये पुलिस कर्मियों को सुपुर्द कर दिया। विवेचक ने उसका बयान लिया।

42. साक्षी पी0डब्लू0 08 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मृत्यु का कारण मालूम न होने पर विसरा सुरक्षित कर दिया गया था। मोहरपाल का जबड़ा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। उसके द्वारा कोई पूरक रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी। शव सड़ी गली हालत में था। किसी भी प्रकार से

पहचान नहीं हो पा रही थी। मृतक मोहरपाल के कपड़े भी सड़े गले थे। शव की पहचान किसने की थी, उसे कोई जानकारी नहीं। उसे ध्यान नहीं कि उसका विवेचक ने कब बयान लिया। सीबीसीआईडी विवेचना कर रहे थे, उसकी भी उसे कोई जानकारी नहीं। बरामद शव पर सड़ा हुआ मांस था। शव को देखकर ये स्पष्ट होता था कि ये किसी वयस्क पुरुष का है, लेकिन उसकी सही उम्र नहीं बता सकता।

43. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 14 सेवानिवृत्त डॉ0 यतेन्द्र कुमार पाठक ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 30.11.2006 को वह वरिष्ठ विशेषज्ञ राज्य चिकित्सा विधि विशेषज्ञ, उत्तर प्रदेश ऐशबाग लखनऊ के पद पर कार्यरत था, उसी दिन उसके यहाँ मु0अ0सं0 156 / 05, धारा 342,302,504,506 भा.द.वि. थाना जैथरा के संबंध में मृतक मौहरपाल उर्फ पप्पू पुत्र राम सिंह जिला एटा के संबंध में कुछ हड्डियों को उम्र निर्धारण हेतु भेजा गया था। हड्डियों के साथ हड्डियों का एक्स–रे भी आया था। उसी एक्स–रे को देखकर उसके द्वारा उसकी उम्र पंद्रह वर्ष अंकित की गई थी। यह एक्स–रे प्लेट उसे एटा से हड्डियों के साथ भेजा गया था। एक्स–रे प्लेट व हड्डियों को उसके द्वारा वापस एटा उचित माध्यम से भेज दिया गया था। उसके बाद उसके पास एक मानव जबड़ा भी रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। जबडा व हड्डियों को देखकर उसके द्वारा निश्चित किया गया कि यह हड्डियां व जबड़ा एक मानव की हैं और हड्डियों के एक्स–रे के आधार पर मृतक की उम्र करीब पंद्रह वर्ष अंकित की गई थी। रिपोर्ट उसने टाईप कराकर अपने हस्ताक्षर में तैयार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के समक्ष भेज दी थी, जो पत्रावली में कागज सं0 9अ / 3 है। यह रिपोर्ट उसके पत्रांक सं0 एम.एल.सी. 89 / 2006 / 394 दिनांक 30.11.2006 / 01.12.2006 है, इसकी पी.डी.एफ. फाईल देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर प्रदर्श–क–14 डाला गया।

44. साक्षी पी0डब्लू0 14 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि एक्स–रे प्लेट उसने वापस कर दी थी, अगर वह फाईल पर नहीं है, तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि हड्डियां व जबड़ा मानव का था, लेकिन मानव में स्त्री या पुरुष वह नहीं बता सकता। उसे ध्यान नहीं है कि सी.बी.सी.आई.डी. के किसी विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था या नहीं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि गायब हुए व्यक्ति मौहरपाल की वास्तविक आयु लगभग 35 से 40 वर्ष थी और वह 5 बच्चों का पिता था, जबकि पी०डब्लू० 08 डॉ० प्रदीप गुप्ता तथा पी०डब्लू० 14 डॉ० यतेन्द्र पाठक की रिपोर्ट के अनुसार, काली नदी से बरामद कंकाल / हड्डियों का एक्स–रे परीक्षण करने पर मृतक की आयु लगभग 15 वर्ष पाई गई। जब बरामद कंकाल किसी 15 वर्षीय बालक का है, तो मौहरपाल की हत्या व शव गायब करने का अपराध साबित ही नहीं होता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं।

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0 04, पी0डब्लू0 05 व पी0डब्लू0 06 के बयानों से यह साबित है कि मौहरपाल को पुलिस स्वस्थ अवस्था में ले गई थी और थाने में पीटा गया था। चूँकि अभियुक्तगण स्वयं पुलिस अधिकारी (थानाध्यक्ष, दरोगा व सिपाही) थे और पंचायतनामा व शव को कब्जे में रखने की पूरी प्रक्रिया

पर उनका प्रभाव था, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि विवेचना को भटकाने के लिए साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की गई या अन्य कंकाल दर्शाया गया, किंतु गवाहों द्वारा कपड़ों व लॉकेट से की गई पहचान निश्चित रूप से अभियोजन के मामले को साबित करती है।

बचाव पक्ष का तर्क है कि जब तक मृतक मौहरपाल का शव चिकित्सीय/वैज्ञानिक रूप से अकाट्य रूप से बरामद और साबित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को हत्या के अपराध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि हत्या के मामले में लाश का बरामद होना या उसकी शिनाख्त होना दोषसिद्धि के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है, यदि प्रत्यक्षदर्शियों का साक्ष्य और कस्टोडियल परिस्थितियाँ अकाट्य हों। प्रस्तुत मामले में मौहरपाल को पुलिस द्वारा कस्टडी में ले जाने और पीटने का प्रत्यक्ष साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है।

इस स्तर पर विधि व्यवस्था **राम गुलाम चौधरी बनाम स्टेट आफ बिहार 2001 (2) जे0आई0सी0 986** का भी अवलोकन किया गया। उक्त विधि व्यवस्था के तथ्य एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्य लगभग एक समान है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में प्रकरण यह था कि साक्षीगण के बयानों के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करके एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था तथा अभियुक्तगण का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के साथ–साथ 201 में भी किया जा रहा था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि जब साक्षीगण के बयानों व अन्य परिस्थितियों से अभियुक्तगण के द्वारा तथाकथित मृतक को ले जाया जाना स्पष्ट था तब साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन यह दायित्व अभियोजन पक्ष पर था कि वह इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण व्यक्त करते कि तथाकथित व्यक्ति/मृतक कहां है और उसका क्या हुआ।

यह भी उल्लेखनीय है कि बरामदशुदा कंकाल पर जो कपड़े एवं लॉकेट इत्यादि पाये गये वह मृतक के होना साबित है। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार जब थाना जैथरा के पुलिस मौहरपाल को ले गयी थी, तब वह वही कपड़े पहना था। उस समय मौहरपाल के द्वारा पहने गये कपड़े अथवा लॉकेट आदि कंकाल पर इस प्रकार पाये गये, का कोई उचित स्पष्टीकरण अभियुक्तगण द्वारा नहीं दिया गया है।

बचाव पक्ष का तर्क है कि पी०डब्लू० 08 ने माना कि शव अत्यधिक सड़ा–गला था और चेहरे से पहचान योग्य नहीं था। केवल लाल शर्ट, पायजामा और ताबीज के आधार पर किसी सड़ चुके कंकाल की पहचान को चिकित्सीय रिपोर्ट, जिसमें आयु 15 वर्ष आई है, के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

पी०डब्लू० 08 ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–02 में स्पष्ट अंकित किया है कि शव के साथ लाल शर्ट, पायजामा का टुकड़ा और 01 ताबीज व काला धागा बरामद हुआ था। चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0 04, पी0डब्लू0 05 व पी0डब्लू0 06 ने निर्विवाद रूप से यह साबित किया है कि नदी से बरामद शव पर पहने हुए कपड़े और गले में मौजूद विशेष ताबीज/लॉकेट मौहरपाल के ही थे।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के साथ साथ 201 में भी किया जा रहा है,

जो साक्ष्य को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में है। वर्तमान प्रकरण में तथाकथित रूप से मृतक मौहरपाल को पुलिस दिनांक 26.08.2005 को पकड़कर थाने ले गयी थी और तथाकथित रूप से दिनांक 27.08.2005 की रात दस बजे के पूर्व हुई थी और मृतक का शव / कंकाल दिनांक 30.08.2005 को प्राप्त हुआ। इतनी कम समयावधि में एक स्वस्थ व्यक्ति के शव का पूर्णतया कंकाल बन जाना नितान्त अस्वाभाविक है, जो प्रथम दृष्ट्या इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य को मिटाये जाने का प्रयास किया गया है।

45. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **डी0डब्लू0 01 महावीर सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि वह नगला बुधू थाना वैदपुरा जिला इटावा के बासिंदा हैं। इस समय जनपद अलीगढ़ पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। वर्ष 2003 को थाना जैथरा जनपद एटा में आरक्षी के पद पर तैनात था। वर्ष 2005 में संबंधित थाना जैथरा गांव वासियों में प्रधानी चुनाव शुरु हुआ था। वे लोग व वह आरक्षी अपने अपने देहातों में सुचारू रूप से देख–भाल में व्यस्त थे। उसके द्वारा आज बतौर फेहरिस्त सबूत थाने की जी.डी. की फोटो प्रतियाँ स्वयं प्रमाणित कर दाखिल की गई हैं, क्योंकि थाने की जी.डी. पाँच साल बाद नियमानुसार नष्ट कर दी जाती हैं, इसलिए मूल प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है। रपट नं. 07 थाना जैथरा दिनांकित 26.08.2005 स्वयं प्रमाणित है, जिस पर थाना जैथरा की मोहर लगी है, जिस पर उसके उपस्थित क्रम सं० 15 पर थाना हाजा पर समय 06:10 पर दर्शायी गई है। इस पर **प्रदर्श ख–01** डाला गया व रपट नं. 14 समय 09:05 दिनांकित 26.08.2005 उसके द्वारा स्वयं प्रमाणित कर दाखिल की गई है, जिसमें उसकी एस.ओ. साहब व अन्य के साथ उसकी रवानगी थाना हाजा से दर्शायी गई है, इस पर **प्रदर्श ख–02** डाला गया। दिनांक 26.08.2005 की रपट नं. 14 की जी.डी. की फोटो प्रति उसके द्वारा स्वयं प्रमाणित दाखिल की गई है। इस पर **प्रदर्श ख–03** डाला गया व नकल रपट 02 समय 02.30 दिनांकित 27.08.2005 वापसी थाना हाजा स्वयं प्रमाणित दाखिल की गई। इस पर **प्रदर्श ख–04** डाला गया व जी.डी. दिनांकित 27.08.2005 की प्रति स्वयं प्रमाणित जिस पर **प्रदर्श ख–05** डाला गया व रपट नं. 18 समय 11.20 बजे दिनांकित 27.08.2005 थाना हाजा से रवानगी उसके द्वारा स्वयं प्रमाणित की गई। इस पर **प्रदर्श ख–06** डाला गया। एक किता जी.डी. प्रति रपट नं. 18 उसके द्वारा स्वयं प्रमाणित दाखिल है। इस पर **प्रदर्श ख–07** डाला गया व रपट नं. 23 समय 15.30 बजे दिनांकित 27.08.2005 थाना हाजा से रवानगी उसके द्वारा स्वयं प्रमाणित दाखिल है, इस पर **प्रदर्श ख–08** डाला गया। इसी प्रकार एक किता जी.डी. प्रति मय रपट नं. 23 व रपट नं. 26 रवानगी उसके द्वारा स्वयं प्रमाणित दाखिल है, इस पर **प्रदर्श ख–09** डाला गया व नकल रपट नं. 26 समय 16.00 बजे दिनांकित 27.08.2005 थाना जैथरा उसके द्वारा स्वयं प्रमाणित है। इस पर **प्रदर्श ख–10** डाला गया। ये समस्त जी.डी. प्रपत्र उसके नौकरी के दौरान के हैं। उसके सामने थाना हाजा से रवानगी व वापसी के समय लिखे गए हैं। दिनांक 26.08.2005 को वह एस.ओ. जैथरा के साथ किसी भी समय ग्राम बहगों नहीं गया और वह एस.ओ. साहब व अन्य हमराहीयान के साथ ग्राम बहगों से मौहरपाल उर्फ पप्पू को लेकर कभी थाने नहीं आया, न ही उसके द्वारा उसे थाने में कोई प्रताड़ना दी गई। राजनीतिक द्वेष व क्षेत्रीय पार्टीबंदी ने ये झूठा मुकदमा उसके विरुद्ध लिखाया था। उसके द्वारा ये प्रपत्र

विवेचक को उपलब्ध कराए गए थे, जिनको उसके द्वारा आज स्वयं प्रमाणित कर दाखिल किया गया है।

46. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **डी0डब्लू0 01 महावीर सिंह** ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि घटना वाले दिन वह थाना जैथरा पर तैनात था। आज उसके द्वारा जो जी.डी. की छाया प्रति अपने हस्ताक्षर सहित दाखिल की गई है, उसके अनुसार वह थाना क्षेत्र में भिन्न–भिन्न जगह पर ड्यूटी पर था। थाना प्रभारी को ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं हैं कि वह आवश्यकता पड़ने पर अपने थाने के फोर्स को घटना स्थल पर बुला सकें। अगर उसकी ड्यूटी जी.डी. की रवानगी के अनुसार दूसरी जगह है, तो यह कहना सही है कि जी.डी. की छाया प्रतियाँ जो आज उसने प्रदर्श ख–01 लगायत प्रदर्श ख–10 न्यायालय में दाखिल की हैं, वो आज वह पहली बार दाखिल कर रहा है। यह प्रतियाँ उसने अपनी जमानत के समय या अन्य किसी कार्यवाही में दाखिल नहीं की थीं। इन सभी जी.डी. के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि वह दिनांक 26.08.2005 से 28.08.2005 तक थाना पर ड्यूटी पर मौजूद था। ये घटना दिनांक 26.08.2005 से लेकर 28.08.2005 के बीच की है। यह कहना गलत है कि आज वह अपने बचाव में न्यायालय में झूठा बयान दे रहा है।

47. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **डी0डब्लू0 02 गजराज सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि वह वर्ष 2014 में एस.आई. पद पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। वह वर्ष 2005 में बतौर एस.आई. थाना जैथरा पर तैनात था। उसके द्वारा बतौर फेहरिस्त सबूत थाना जैथरा की जी.डी की फोटो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर पत्रावली पर दाखिल की है। मूल जी.डी. एस.एस.पी. कार्यालय भेजी जाती है और नियमानुसार पांच वर्ष में मूल जी.डी. नष्ट कर दी जाती हैं। वह दिनांक 26.08.2005 को रपट नं. 07 के अनुसार थाना हाजा पर ड्यूटी पंजिका के अनुसार चुनाव ड्यूटी पर गया हुआ था। इसकी एक किता फोटो प्रति वह स्वयं प्रमाणित कर रहा है। इस पर **प्रदर्श ख–11** डाला गया। इसी प्रकार एक किता फोटो प्रति जी.डी. दिनांकित 26.08.2005 स्वयं प्रमाणित कर रहा है। इस पर **प्रदर्श ख–12** डाला गया। इसके अनुसार वह बीमार होने के कारण चुनाव ड्यूटी से वापस नहीं आ पाया था और उसकी गैर हाजिरी जी.डी. में अंकित की गई। इसी प्रकार उसके द्वारा जी.डी. की स्वयं प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी, जिस पर **प्रदर्श ख–13** डाला गया। इसकी रपट नं. 35 के अनुसार उसकी थाना हाजा पर 27.08.2005 को 20.10 पर वापसी हुई। इसी प्रकार एक किता नकल नं. 10 की फोटो प्रति स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत की है। इस **प्रदर्श ख–14** डाला गया, जिसके अनुसार उसकी ड्यूटी मतगणना हेतु गांधी इंटर कालेज में लगी थी। एक स्वयं प्रमाणित जी.डी. की प्रति दिनांकित 28.08.2005 प्रस्तुत है, जिस पर **प्रदर्श ख–15** डाला गया। इसी प्रकार रपट नं. 28 की फोटो प्रति उसके द्वारा स्वयं प्रमाणित प्रस्तुत की गई है, जिस पर **प्रदर्श ख–16** डाला गया। एक किता जी.डी. की प्रति दिनांकित 28.08.2005 स्वयं प्रमाणित प्रस्तुत की गई, जिस पर **प्रदर्श ख–17** डाला गया। दिनांक 26.08.2005 को दिन के 02:00 बजे से लेकर दिनांक 27.08.2005 के 10:00 बजे तक वह थाना जैथरा के गांव बहगो नहीं गया, न ही वह वहां से एस.ओ. जैथरा के साथ मौहरपाल उर्फ पप्पू को लेकर थाने नहीं आया। न ही उसके द्वारा उसे प्रताड़ित कर उसके साथ कोई घटना कारित की गई थी। उसने अपने सफाई में जो प्रदर्श ख–11 लगायत प्रदर्श ख–17 पत्रावलियों पर पेश की हैं, उन्हें वह पूर्व में

विवेचक को भी दे चुका है,, परन्तु उनके द्वारा इनका विवेचना में उल्लेख नहीं किया गया है। उसे राजनीतिक पार्टी बन्दी के कारण मुकदमा उपरोक्त में झूठा नामित किया गया है।

48. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **डी0डब्लू0 02 गजराज सिंह** ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि वह दिनांक 26.08.2005 को जी.डी. रपट नं. 07 के अनुसार थाना अलीगंज क्षेत्र के अन्तर्गत पहरैया मोड़ पर ड्यूटी पर गया था। वह चुनाव ड्यूटी पर थाना जैथरा क्षेत्र से बाहर ड्यूटी पर गया था, क्योंकि थाना जैथरा का सभी फोर्स चुनाव ड्यूटी पर बाहर गया था। उसकी ड्यूटी थाना जैथरा क्षेत्र के बाहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के द्वारा लगाई गयी थी। उसे चुनाव ड्यूटी से वापस दिनांक 26. 08.2005 को आना था, लेकिन वह 27.08.2005 को समय करीब 20.10 बजे वापस आया। उसके द्वारा अलीगंज क्षेत्र में रवानगी की जी.डी. नहीं है, लेकिन गैर–हाजिरी वाली जी.डी. उसने दाखिल की थी। वह दिनांक 28.08.2005 को थाना पर तैनात था। उस दिन थाना पर घटना हो जाने के कारण सभी फोर्स गायब हो गया था, लेकिन वह ड्यूटी पर तैनात था। थाना पर पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति मौहरपाल की मृत्यु होने के संबंध में थाने का जनता ने घेराव कर आग लगा दी। वह तब थाना से डर के कारण चला गया था। घटना वाले समय वह थाना जैथरा पर एस. आई. के पद पर तैनात था। थाना प्रभारी के साथ वह उन दिनों नहीं रहा था, क्योंकि वह उपनिरीक्षक था। थाना प्रभारी उन दिनों प्रधान पद का चुनाव होने के कारण और फोर्स कम होने के कारण पुलिस कांस्टेबल को अपने साथ रखते थे और वह घटना वाले दिन दिनांक 26.08.2005 को जी.डी. के अनुसार थाना क्षेत्र में मौजूद नहीं था। यह कहना गलत है कि वह आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा है।

जहॉ तक बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी डी0डब्लू0 01 व डी0डब्लू0 02 का प्रश्न है, इस संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोनों अभियुक्तों ने अपने–अपने विभागों के अभिलेखों जी०डी० प्रविष्टियाँ प्रदर्श ख–01 लगायत प्रदर्श ख–17 को स्वयं प्रमाणित कर दाखिल करके यह साबित किया गया है कि घटना की कथित तिथि व समय पर वे थाना क्षेत्र में अन्यत्र चुनावी व कानून–व्यवस्था ड्यूटी पर थे और थाने या गाँव बहगो में मौजूद नहीं थे, जिस कारण घटना में उनकी किसी भी प्रकार से कोई संलिप्तता नहीं है।

बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क इसलिये स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि डी०डब्लू० 01 महावीर सिंह ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में स्वयं यह स्वीकार किया है कि "जी०डी० की जो छायाप्रतियाँ आज उसने प्रदर्श ख–01 से प्रदर्श ख–10 न्यायालय में दाखिल की हैं, वह आज पहली बार दाखिल कर रहा है। उसने यह प्रतियाँ अपनी जमानत के समय या विवेचना के दौरान किसी अन्य कार्यवाही में दाखिल नहीं की थीं तथा इन सभी जी०डी० के अनुसार वह दिनांक 26.08.2005 से 28.08.2005 तक थाना क्षेत्र में ही ड्यूटी पर मौजूद था।"

साक्षी डी०डब्लू० 02 गजराज सिंह ने भी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि "वह दिनांक 28.08.2005 को थाना पर तैनात था। उस दिन थाना पर घटना हो जाने के कारण सभी फोर्स गायब हो गया था, लेकिन वह ड्यूटी पर तैनात था। थाना पर पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति मौहरपाल की मृत्यु होने

के संबंध में थाने का जनता ने घेराव कर आग लगा दी। वह तब थाना से डर के कारण चला गया था।''

वर्तमान प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा मात्र इस आशय का साक्ष्य दिया गया है कि वे तथाकथित घटना के समय थाने पर मौजूद नही थे, परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य कि मौहरपाल को थाना जैथरा की पुलिस जिसमें अभियुक्तगण शामिल थे, उठाकर ले गये थे और हवालात में मारपीटकर उसकी हत्या कर दी, के खण्डन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया और न ही ऐसा कोई कथन किया गया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण उसी थाना क्षेत्र जैथरा में ही तैनात थे, जहाँ से गाँव बहगो की दूरी केवल 3.5 किलोमीटर है और सरकारी गाड़ियों व जीप की उपलब्धता के कारण उनका घटनास्थल पर पहुँचना व वापस आना अत्यंत आसान था। इसके अतिरिक्त, जी०डी० की फोटो प्रतियों की सत्यता अत्यंत संदेहास्पद है, क्योंकि वे स्वयं अभियुक्तों द्वारा अपने बचाव में तैयार एवं प्रमाणित की गई हैं, जबकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पी0डब्लू0 04 लगायत पी0डब्लू0 06 ने सशपथ न्यायालय के समक्ष गवाही दी है कि उन्होंने अभियुक्त महावीर सिंह व गजराज सिंह को पुलिस जीप में गाँव आकर मौहरपाल को जबरन कस्टडी में ले जाते और थाने में उल्टा लटकाकर पीटते देखा था।

इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था ऋषिपाल बनाम स्टेट आफ उत्तराखण्ड (2013) 3 एस0सी0आर0 पेज 917 के सुसंगत प्रस्तरों का अवलोकन एवं उल्लेख किया जाना आवश्यक है :-

09. ....In Rama Nand and Ors. v. State of Himachal Pradesh (1981) 1 SCC 511, this Court summed up the legal position on the subject as:

> "...........In other words, we would take it that the corpus delicti, i.e., the dead-body of the victim was not found in this case. But even on that assumption, the question remains whether the other circumstances established on record were sufficient to lead to the conclusion that within all human probability, she had been murdered by Rama Nand appellant? It is true that one of the essential ingredients of the offence of Indian Kanoon - http://indiankanoon.org/doc/88821611/ 3 Rishi Pal vs State Of Uttarkhand on 8 January, 2013 culpable homicide required to be proved by the prosecution is that the accused caused the death" of the person alleged to have been killed.

> **28.**This means that before seeking to prove that the accused is the perpetrator of the murder, it must be established that homicidal death has been caused. Ordinarily, the recovery of the dead-body of the victim or a vital part of it, bearing marks of violence, is sufficient proof of homicidal death of the victim.

There was a time when under the old English Law, the finding of the body of the deceased was held to be essential before a person was convicted of committing his culpable homicide. "I would never

convict", said Sir Mathew Hale, "a person of murder or manslaughter unless the fact were proved to be done, or at least the body was found dead". This was merely a rule of caution, and not of law. But in those times when execution was the only punishment for murder, the need for adhering to this cautionary rule was greater. Discovery of the dead-body of the victim bearing physical evidence of violence, has never been considered as the only mode of proving the corpus delicti in murder. Indeed, very many cases are of such a nature where the discovery of the dead-body is impossible. A blind adherence to this old "body" doctrine would open the door wide open for many a heinous murderer to escape with impunity simply because they were cunning and clever enough to destroy the body of their victim. In the context of our law, Sir Hale's enunciation has to be interpreted no more than emphasising that where the dead-body of the victim in a murder case is not found, other cogent and satisfactory proof of the homicidal death of the victim must be adduced by the prosecution. Such proof may be by the direct ocular account of an eye-witness, or by circumstantial evidence, or by both. But where the fact of corpus delicti, i.e. 'homicidal death' is sought to be established by circumstantial evidence alone, the circumstances must be of a clinching and definitive character unerringly leading to the inference that the victim concerned has met a homicidal death. Even so, this principle of caution cannot be pushed too far as requiring absolute proof. Perfect proof is seldom to be had in this imperfect world, and absolute certainty is a myth. That is why under Section 3, Evidence Act, a fact is said to be "proved", if the Court considering the matters before it, considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. The corpus delicti or the fact of homicidal death, therefore, can be proved by telling and inculpating circumstances which definitely lead to the conclusion that within all human probability, the victim has been murdered by the accused concerned...." (emphasis supplied)

10. To the same effect is the decision in Ram Chandra & Ram Bharosey v. State of Uttar Pradesh AIR 1957 SC 381, where this Court said:

"It is true that in law a conviction for an offence does not necessarily depend upon the corpus delicti being found. There may be reliable evidence, direct or circumstantial, of the commission of the murder though the corpus delicti are not traceable."

11. Reference may also be made to State of Karnataka v. M.V. Mahesh (2003) 3 SCC 353 where this Court observed:

Indian Kanoon - http://indiankanoon.org/doc/88821611/ 4 Rishi Pal vs State Of Uttarkhand on 8 January, 2013 "It is no doubt true that even in the absence of the corpus delicti it is possible to establish in an appropriate case commission of murder on appropriate material being

made available to the court. In this case no such material is made available to the court."

12.In Lakshmi and Ors. v. State of Uttar Pradesh (2002) 7 SCC 198 the legal position was reiterated thus :

"16. Undoubtedly, the identification of the body, cause of death and recovery of weapon with which the injury may have been inflicted on the deceased are some of the important factors to be established by the prosecution in an ordinary given case to bring home the charge of offence under Section 302 I.P.C. This, however, is not an inflexible rule. It cannot be held as a general and broad proposition of law that where these aspects are not established, it would be fatal to the case of the prosecution and in all cases and eventualities, it ought to result in the acquittal of those who may be charged with the offence of murder. It would depend on the facts and circumstances of each case. A charge of murder may stand established against an accused even in absence of identification of the body and cause the death."

13. In the absence of corpus delicti what the court looks for is clinching evidence that proves that the victim has been done to death. If the prosecution is successful in providing cogent and satisfactory proof of the victim having met a homicidal death, absence of corpus delicti will not by itself be fatal to a charge of murder. Failure of the prosecution to assemble such evidence will, however, result in failure of the most essential requirement in a case involving a charge of murder.

इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित एक अन्य विधि व्यवस्था देबोजीत परनिका बनाम स्टेट ऑफ आसाम 2026 लाइव लॉ (एस0सी0) 691 के सुंसगत प्रस्तर 15 का अवलोकन किया जाना न्यायोचित है :— 15. As stated above, the present case falls into the category of the cases of 'corpus delicti'. The 'corpus delicti' in murder has two components death as the result, and criminal agency of another as the means. Where there is direct proof of the one, the other may be established by circumstantial evidence. 'Corpus delicti' means that the offence has been committed and not that the dead body of the murdered person has been recovered. A person can be convicted of murdering another even if the later's body has not been recovered. It may not be out of place to refer to the judgments of this Court. As some of the facts are identical, we must refer to the judgment of this Court in the matter of Prithi v. State of Haryana, Prithipal Singh v. State of Punjab, and Sevaka Perumal v. State of T.N.. The relevant paragraph from the judgment of this Court in Sevaka Perumal (supra), is as follows:-

"5........ The fact of death of the deceased must be established like any other fact. Corpus delicti in some cases may not be possible to be traced or recovered. Take for instance that a murder was committed and the dead body was thrown into flowing tidal river or stream or burnt out. It is unlikely that the dead body may be recovered. If recovery of the dead body, therefore, is an absolute necessity to

convict an accused, in many a case the accused would manage to see that the dead body is destroyed etc. and would afford a complete immunity to the guilty from being punished and would escape even when the offence of murder is proved. What, therefore, is required to base a conviction for an offence of murder is that there should be reliable and acceptable evidence that the offence of murder, like any other factum of death was committed and it must be proved by direct or circumstantial evidence, although the dead body may not be traced.'

उक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार मृत शरीर/शव का मिलना प्रत्येक मामले में आवश्यक नहीं है। यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं परिस्थितियों से हत्या किया जाना परिलक्षित हो रहा हो तब ऐसी स्थिति में मृत शरीर/शव न मिल पाने की स्थिति में भी हत्या के मामलों में दोषसिद्ध किया जाना पूर्णतया न्यायसंगत है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **बी0जे0 मार्कंड बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र 2016 (97) ए0सी0सी0, पेज 410** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि संदेह के सिद्वान्त को इस स्तर तक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिये कि उसका अनुचित लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता हो।

जहां तक बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाएं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों से संदर्भित है तथा उक्त विधि व्यवस्थाओं के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न है, जिनका कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

यदि बचाव पक्ष के तर्कों के अनुसार वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य का भी माना जाये, तब भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से दिनांक 26.08.2005 को दोपहर लगभग 02:00 बजे ग्राम बहगो में प्रधानी चुनाव की रंजिश व फायरिंग के बाद दोपहर 02:30 बजे अभियुक्तगण तत्कालीन एस०ओ० मनीष यादव, एस०आई० गजराज सिंह, आरक्षी महावीर सिंह व सिपाही मिढ़ईलाल ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए मौहरपाल उर्फ पप्पू को जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया, इसके पश्चात् उसी शाम व अगले दिन दिनांक 27.08.2005 को परिजनों व प्रत्यक्षदर्शियों ने थाना जैथरा के हवालात/बरामदे में अभियुक्तगण द्वारा मौहरपाल को रस्सियों से बाँधकर/लटकाकर बर्बरतापूर्वक पीटते हुए देखा तथा 27.08.2005 की रात लगभग 10:00 बजे कस्टडी में उसकी मृत्यु हो जाने पर अभियुक्तगण को एक प्राइवेट वाहन क्वालिस में मौहरपाल के शव को गायब करने की नीयत से अलीगंज की तरफ भगा ले जाते हुए देखा। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों से एवं केस डायरी मु0अ0सं0 153/2005 के पर्चा नं० 3 में मौहरपाल की मृत्यु पुलिस हिरासत में दिनांक 27.08.2005 को दर्ज होना प्रथम दृष्ट्या साबित है और साक्ष्य की स्वाभाविक श्रृंखला पूर्ण होती है।

49. अभियोजन के साक्षियों ने यह संदेह से परे साबित किया है कि दिनांक 26.08.2005 को दोपहर लगभग 02:00 बजे ग्राम बहगो में प्रधानी चुनाव की रंजिश व फायरिंग के बाद दोपहर 02:30 बजे अभियुक्तगण तत्कालीन एस०ओ० मनीष यादव, एस०आई० गजराज सिंह, आरक्षी महावीर सिंह व सिपाही मिढ़ईलाल ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए मौहरपाल उर्फ पप्पू को जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया, जिसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0 04 प्रदीप सिंह, पी0डब्लू0 05 गुड्डी देवी (मृतक की पत्नी) व पी0डब्लू0 06 कुलदीप सिंह ने प्रत्यक्ष देखा। इसके पश्चात् उसी शाम व अगले दिन दिनांक 27.08.2005

को परिजनों व प्रत्यक्षदर्शियों ने थाना जैथरा के हवालात / बरामदे में अभियुक्तगण द्वारा मौहरपाल को रस्सियों से बाँधकर / लटकाकर बर्बरतापूर्वक पीटते हुए देखा तथा 27.08.2005 की रात लगभग 10:00 बजे कस्टडी में उसकी मृत्यु हो जाने पर अभियुक्तगण को एक प्राइवेट वाहन क्वालिस में मौहरपाल के शव को गायब करने की नीयत से अलीगंज की तरफ भगा ले जाते हुए देखा। साक्षी पी0डब्लू0 07 इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण व स्वतंत्र साक्षी है। साक्षी पी0डब्लू0 07 तत्कालीन चेयरमैन विजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा दी गई निष्पक्ष साक्ष्य ने कस्टडी में मौत की खबर फैलने, परिजनों को सूचित करने और जनता द्वारा थाने के घेराव के बाद ही एफ०आई०आर० दर्ज होने की पुष्टि की।

जबकि पी0डब्लू0 09 दिनेश कुमार, पी0डब्लू0 10 नायब तहसीलदार अहिवरन सिंह व विवेचकगण पी0डब्लू0 11, 12, 13 की साक्ष्य से ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर (मकान सं० 106) तथा केस डायरी मु0अ0सं0 153 / 2005 के पर्चा नं० 3 में मौहरपाल की मृत्यु पुलिस हिरासत में दिनांक 27.08.2005 को दर्ज होना प्रामाणिक सिद्ध हुआ।

जहॉ तक बचाव पक्ष के इस सबसे मुख्य तर्क का प्रश्न है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क–02) व विधि–विशेषज्ञ रिपोर्ट (प्रदर्श क–14) में बरामद कंकाल की आयु 15 वर्ष आई है, अतः शव मौहरपाल का नहीं था, किसी भी प्रकार से न तो सुसंगत है और न ही विश्वास किये जाने योग्य है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा नदी से बरामद शव के कपड़ों (लाल शर्ट, पायजामा) और गले में मौजूद ताबीज / लॉकेट से मौहरपाल की शिनाख्त की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अतिरिक्त 201 का आरोप भी विरचित किया गया है, जो कि साक्ष्यों के नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में ही है।

चूँकि अभियुक्तगण स्वयं पुलिस बल के सदस्य थे और कस्टडी, पंचायतनामा व शव को कब्जे में रखने की प्रक्रिया पर उनका पूर्ण वर्चस्व था, इस बात का निश्चयात्मक निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तों ने कस्टडी में हत्या कारित करने के बाद स्वयं के बयाव हेतु या तो मौहरपाल के शव को पूरी तरह गायब कर दिया या साक्ष्य में हेराफेरी करते हुए किसी अन्य कंकाल का एक्स–रे कराकर विवेचना को गुमराह करने का प्रयास किया। जब यह साबित हो जाता है कि मौहरपाल को पुलिस द्वारा स्वस्थ हालत में ले जाया गया था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत कस्टडी के भीतर उसकी मृत्यु होने या गायब होने का विशेष ज्ञान व स्पष्टीकरण देने का संपूर्ण भार अभियुक्त पुलिसकर्मियों पर था, जिसे देने में वे पूरी तरह विफल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, अभियुक्तगण डी0डब्लू0 01 महावीर सिंह व डी0डब्लू0 02 गजराज सिंह द्वारा प्रस्तुत अन्यत्र उपस्थिति व जी0डी0 की स्व प्रमाणित प्रविष्टियों का प्रश्न है, वह विश्वसनीय नहीं हैं।

अतः साक्षियों की गवाही और अभिलेखीय साक्ष्य से यह संदेह से परे सिद्ध होता है कि घटना अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी है और साक्षीगण ने यह साबित किया है कि अभियुक्तगण मनीष यादव (तत्कालीन एस०ओ०), गजराज सिंह (तत्कालीन दरोगा), महावीर सिंह (तत्कालीन आरक्षी) व सिपाही मिढ़ईलाल द्वारा मौहरपाल को जबरन थाने ले जाया गया तथा थाने के भीतर निर्दयतानूर्वक पीटकर उसकी हत्या कारित की तथा साक्ष्य मिटाने की नीयत से उसके शव को गायब किया।

50. अभियुक्तगण मनीष यादव व मिढ़ईलाल उर्फ मिढ़ाईलाल की मृत्यु दौरान विचारण हो चुकी है।

51. अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप भा०दं०सं० की धारा 302/34,342,201,504,506 भा0दं0सं0 को साबित कर पाने में सफल रहा है।

52. अतः अभियुक्तगण महावीर सिंह व गजराज सिंह भा०दं०सं० की धारा 302/34,342,201,504,506 भा0दं0सं0 के आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में, उपरोक्त मामले में उपरोक्त प्रश्नगत अभियुक्तगण **महावीर सिंह व गजराज सिंह** को **भा०दं०सं० की धारा 302/34,342,201,504,506** के आरोपित आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है। दोनों अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके बंधपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण **महावीर सिंह व गजराज सिंह** को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली 12:30 पी0एम0 पर पेश हो।

<u>दिनाँकः 12.08.2026</u>

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश, एटा
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 2008

<u>12:30 पी0एम0</u>
<u>12.08.2026</u>

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे अत्यन्त गरीब हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्तगण के प्रति दण्ड के प्रश्न पर उदारतापूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाकर, उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने की मांग की गई है, जबकि अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्तगण के प्रति उदारतापूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा से दण्डित किया जाए।

भा0दं0सं0 की धारा 302/34 में न्यूनतम दण्ड आजीवन कारावास प्राविधानित है तथा यद्यपि वर्तमान प्रकरण में थाने में मौहरपाल के साथ मारपीट कर उसकी हत्या किये जाने व साक्ष्य को नष्ट किये जाने का प्रयास किया गया है, जो एक गम्भीर अपराध है तदापि यह न्यायालय वर्तमान प्रकरण दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं पाता है। अतः उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुये निम्नलिखित दण्डादेश दिया जाना उचित होगा।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **महावीर सिंह व गजराज सिंह** को **भारतीय दण्ड संहिता धारा 302/34** के तहत **आजीवन कारावास** व प्रत्येक को 25,000—

25,000/– रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त 06–06 माह (छः–छः माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास का अधिभोगी होगा।

अभियुक्तगण **महावीर सिंह व गजराज सिंह** को **भारतीय दण्ड संहिता धारा 504** के तहत **01–01 वर्ष** (एक–एक वर्ष) के साधारण कारावास व प्रत्येक को **1,000–1,000/– रूपये** (एक–एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त 15–15 दिन (पन्द्रह–पन्द्रह दिन) के अतिरिक्त साधारण कारावास का अधिभोगी होगा।

अभियुक्तगण **महावीर सिंह व गजराज सिंह** को **भारतीय दण्ड संहिता धारा 506** के तहत **02–02 वर्ष** (दो–दो वर्ष) के साधारण कारावास व प्रत्येक को **2,000–2,000/– रूपये** (दो–दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त 1–1 माह (एक–एक माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास का अधिभोगी होगा।

अभियुक्तगण **महावीर सिंह व गजराज सिंह** को **भारतीय दण्ड संहिता धारा 342** के तहत **01–01 वर्ष** (एक–एक वर्ष) के साधारण कारावास व प्रत्येक को **500–500/– रूपये** (पॉच–पॉच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त 10–10 दिन (दस–दस दिन) के अतिरिक्त साधारण कारावास का अधिभोगी होगा।

अभियुक्तगण **महावीर सिंह व गजराज सिंह** को **भारतीय दण्ड संहिता धारा 201** के तहत **07–07 वर्ष** (सात–सात वर्ष) के साधारण कारावास व प्रत्येक को **3,000–3,000/– रूपये** (तीन–तीन हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त 02–02 माह (दो–दो माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास का अधिभोगी होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण की सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण को उक्त निर्णय/आदेश की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण को कार्यालय द्वारा सजायाबी वारण्ट बनाकर दण्ड भुगतने के लिये जिला कारागार, एटा भेजा जाये।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जाये।

दिनाँकः 12.08.2026 **(राकेश धर दुबे)**
सत्र न्यायाधीश, एटा
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 2008

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित किया जाकर उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः 12.08.2026 **(राकेश धर दुबे)**
सत्र न्यायाधीश, एटा
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 2008